BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
O.A NO 961of 2024
(IA No 183/2025)

IN THE MATTER OF:

NITIN DEV

...APPLICANT

Versus

STATE OF UTTARAKHAND & ORS.

...RESPONDENTS

INDEX

S.NO	PARTICULARS	PG. NO.
1.	Action Taken Report on behalf of District Magistrate, Tehri Garhwal	1-9
2.	**ANNEXURE-1** Copy of letter sent to Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, Uttarakhand, Food Safety and Drug Administration Officer, Narendra Nagar, District Supply Officer, Tehri Garhwal and Fire Officer, Narendra Nagar, Tehri Garhwal bearing no.-102/District Ganga Committee/T.G. dated 11.06.2025	10
3.	**ANNEXURE-2(COLLY)** Copy of letter No. FDA/Court Case/44/2025/172 dated 16.06.2025and the Food Safety Registration Certificate (FSSAI) dated 27.11.2025	11-17
4.	**ANNEXURE-3** Copy of letter bearing No. 774/Petroleum Anu/2025-26 dated 13.08.2025	18-22
5.	**ANNEXURE-4** Copy of letter bearing no. UKPCB/ROD/SA-(III)/2025-26/2714-2277 dated 25.10.2025	23-25
6.	**ANNEXURE-5** Copy of the letter bearing no FS/NI/2023 dated 08 December 2025 of the Fire Officer, Fire Station Narendranagar	26-34

7.	**ANNEXURE-6** Copy of Letter No.-UKPCB/ROD/NGT-121/3243-2495 dated 16.06.2025	**35-38**
8.	**ANNEXURE-7** Copy of Letter bearing No.-734/RA (Investigation Text)-2025 Narendranagar, dated 26.12.2025	**39-41**
9.	**ANNEXURE-8** Copy of invoices/bill along with photographs of installation of 12 KLD - STP	**42-45**

DRAWN & FILED BY:

K. P. Gautam
Advocate
Supreme Court of India
Reg. No. D/119/98

KAUSHAL GAUTAM
COUNSEL FOR DM, TEHRI GARHWAL
OFF. AT A 25, SECOND FLOOR
DEFENCE COLONY, NEW DELHI-110024
MOB NO.-9811101934
E-mail:officeofkaushalgautam@gmail.com

NEW DELHI

Dated : 27.03.2026

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI
O.A NO 961of 2024
(IA No 183/2025)

IN THE MATTER OF:

NITIN DEV ...APPLICANT

Versus

STATE OF UTTARAKHAND & ORS.

...RESPONDENTS

ACTION TAKEN REPORT ON BHEALF OF DISTRICT MAGISTRATE, TEHRI GARHWAL BEING FILED IN COMPLIANCE OF THE JUDGMENT DATED 26.05.2025 PASSED BY THIS HON'BLE TRIBUNAL

MOST RESPECTFULLY SHOWETH-

1. In compliance with the judgment passed bythe Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi,on 26.05.2025 in OA No. 961/2024 titled as "Nitin Dev vs State of Uttarakhand & Ors.", the Additional District Magistrate, Tehri Garhwal sent a letter to Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, Uttarakhand, Food Safety and Drug Administration Officer, Narendra Nagar, District Supply Officer, Tehri Garhwal and Fire Officer, Narendra Nagar, Tehri Garhwal to take action as per the directions of Hon'ble Tribunal. Copy of letter sent to Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun, Uttarakhand, Food Safety and Drug Administration Officer, Narendra Nagar, District Supply Officer, Tehri Garhwal and Fire Officer, Narendra Nagar, Tehri Garhwal bearing no.-102/District Ganga

Committee/T.G. dated 11.06.2025 is annexed herewith **as** **ANNEXURE-1**.

2. The Designated Officer, Food Safety and Drug Administration, T.G. has been informed through letter No. FDA/Court Case/44/2025/172 dated 16.06.2025 that in the absence of food license by M/s Osho Gangadham (Janaki Kutiya), as per Section 31(1) of the Food Safety Standards Act 2006, no person can carry on any kind of food business without a license. As the businessman is punishable with fine under Section 63 of the Food Safety Standards Act 2006 for carrying on food business without a license, a suit was filed in the Hon'ble Court of Adjudicating Officer on 05.12.2024 for appropriate action against the accused. In the above case, the Hon'ble Court Adjudicating Officer found the businessman guilty of violating Section 26 (1), 26 (2) (v), 26 (3) (b) Section-31 and Schedule 4 which includes Section 55, 56, 58 and 63 of the Food Safety Standards Act 2006 and punished Shri Manoj son of Shri Ramesh Chandra, Manager, Shri Janaki Kutiya Dharmarth Trust (Oshoganga Dham) Brahmapuri Lease No.- 52 Badrinath Marg, District Tehri Garhwal with Rs. 5000/- (rupees five thousand only). Presently, the institute has been registered under the Food Safety and Standards Act, 2006 which is valid till 26.11.2030. Copy of letter No. FDA/Court Case/44/2025/172 dated 16.06.2025and the Food Safety Registration Certificate (FSSAI)dated 27.11.2025are annexed herewith as **ANNEXURE-2(Colly).**

3. The District Supply Officer, Tehri Garhwal, in his letter No. 774/Petroleum Anu/2025-26/Dated 13.08.2025, informed that the Regional Food Officer, Chaudhabigha, inspected

the Janaki Kutiya Charitable Trust (Oshoganga Dham) on 11.08.2025. At the time of the inspection, a commercial LPG cylinder was connected to the restaurant. Upon request for the documents, the commercial cylinder's registration certificate was provided. M/s Uma Gas Service, Rishikesh has issued commercial connection to M/s Janaki Kutiya Dharamarth Trust, Brahmapuri, Rishikesh on 18.11.2024 and LPG refill has been done by them on 18.11.2024 and 03.04.2025. Copy of letter bearing No. 774/Petroleum Anu/2025-26 dated 13.08.2025 is annexed herewith as **ANNEXURE-3**.

4. It has been informed by the Regional Officer, Uttarakhand Pollution Control Board, Dehradun vide letter bearing no.- UKPCB/ROD/SA-(III)/2025-26/2714-2277 dated 25.10.2025, that on 04.10.2025, in the presence of the Trust's representative Swami Prem Chaitanya Ji, the main office of the Trust has been sealed and the electricity connection installed on the premises has been permanently disconnected on 03.10.2025 by the Executive Engineer, Electricity Distribution Division, Narendra Nagar, Tehri Garhwal. Copy of letter bearing no. UKPCB/ROD/SA-(III)/2025-26/2714-2277 dated 25.10.2025 is annexed herewith as **ANNEXURE-4.**

5. It has been informed by the letter FS/NI/2023 dated 08 December 2025 of the Fire Officer, Fire Station Narendranagar that the In-charge Fire Officer, Narendranagar inspected Asho Ganga Dham (Janaki Kutiya) on 05.12.2025, during the inspection the following primary fire safety arrangements have been provided by the above mentioned institution and all were found to be

functional and in satisfactory condition.Copy of the letter bearing no FS/NI/2023 dated 08 December 2025 of the Fire Officer, Fire Station Narendranagar is annexed herewith as **ANNEXURE-5.**

S NO	DETAILS	
i.	A.B.C Fire extinguisher 04 kg capacity	09 Add.
ii.	A.B.C Fire extinguisher 06 kg capacity	03 Add.
iii.	CO_2 fire extinguisher 4.5 kg capacity	02 Add.
iv.	Hojerli	02 Add.
v.	Fire Alarm	01 Add.
vi.	Submersible pump	01 Add.
vii.	Reserve water Tank (5000x02)	10,000 Ltr.

6. On 12.12.2025, a joint inspection was conducted by officials from the Uttarakhand Pollution Control Board and the Fire Department, Narendranagar, Tehri Garhwal. The inspection revealed that the electricity supply to the ashram, which had been disconnected by the department, remained intact, and the office, which had been sealed earlier, was also intact. During the inspection, it was discovered that the fire safety equipment at the ashram, including hose reels, fire alarms, and submersible pumps, require electricity to operate. During the Fire Department's inspection on 05.12.2025, these equipment were checked using an alternative generator. All other firefighting equipment did not require electricity to operate. During the joint inspection, another room, which was being used as an office, was also sealed, and a D.G. set located on the premises was also sealed. Copy of Letter No.-UKPCB/ROD/NGT-121/3243-2495 dated 15.12.2025 is annexed herewith as **ANNEXURE-6**.

7. On December 25, 2025, the Revenue Department conducted a site inspection of the Janaki Kutiya Dharmarth Trust (Oshoganga Dham) located in Brahmapuri. The site inspection revealed that the electricity department had disconnected the electricity connection to the ashram. The electricity department also removed the electricity meter from the ashram. The ashram's office was found sealed, and a generator set was found in the ashram premises. The generator set was also found sealed. Copy of Letter bearing No.-734/RA (Investigation)-2025 Narendranagar, dated 26.12.2025 is annexed herewith as **ANNEXURE-7.**
8. It is submitted that a 12 KLD-STP has duly been installed by M/S EWS Greentech Private Limited in Shri Janki Kutiya Dharmarth Trust Ashram at lease No 52, Brahampuri, Rishikesh. An online application along with copy of invoice/bill and photograph for approval has been submitted to Uttarakhand Pollution Control Board on 08.10.2025. Copy of invoices/bill along with photographs has been annexed herewith as **ANNEXURE-8.**

In light of the findings and observations from the inspection, this report is submitted to comply with the directions of this Hon'ble Tribunal.

District Magistrate
Tehri Garhwal

FILED BY-

K. P. Gautam
Advocate
Supreme Court of India
Reg. No. D/119/98

KAUSHAL GAUTAM
COUNSEL FOR DM, TEHRI GARHWAL
OFFICE AT: A-25, SECOND FLOOR
DEFENCE COLONY, NEW DELHI-110024
MOB NO.: 9811101934
EMAIL: officeofkaushalgautam@gmail.com

DATED- 27.03.2026

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या–157 /जिला गंगा समिति/एन0जी0टी0 (2025–26) नई टिहरी दिनांक 01 दिसम्बर, 2025

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

प्रेषित,

रजिस्ट्रार जनरल,
राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण,
प्रधान पीठ, नई दिल्ली।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपरोक्त विषयक सादर अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 नं0– 961/2024 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2025 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 05 मैसर्स ओशो गंगा धाम(जानकी कुटिया) को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस संख्या– UKPCB/ROD/NGT-121/2024-25/2581-1325 दिनांक 13.11.2024, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के द्वारा नोटिस सख्यां– एफ0एस0/नि0अ0/2023 दिनांक 13.11.2024, अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल द्वारा नोटिस संख्या FS/Na/2023 दिनांक 13.11.2024 एवं जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढवाल के द्वारा नाटिस संख्या 865/40-29/PETO/2024-25 दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से नोटिस जारी किये गये थे।

उपरोक्त अधिकारियों को उक्त उल्लिखित नोटिसों पर यधाशीघ्र उचित कार्यवाही करनें हेतु आदेश पारित किये गये थे। अधोहस्ताक्षरी को उक्त अधिकारीयों/विभाग द्वारा की गयी कार्यवाही को मॉनीटर करने एवं कृत कार्यवाही की रिपोर्ट को मा0 प्राधिकरण को उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये गये थे।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों के अनुपालन के कम में प्रकरण में की गयी नवीनतम कार्यवाही की रिपोर्ट संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

(नितिका खण्डेलवाल) 1/12/25
जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

नितिन देव

बनाम

उत्तराखण्ड सरकार

तथ्यात्मक आख्या

1. मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 नं0–961 / 2024 में दिनांक–26.05.2025 को पारित आदेश के कम में अपर जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, उत्तराखण्ड, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढवाल तथा अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल को मा0 प्राधिकरण के निर्देशानुसार कार्यवाही करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। (**संलग्नः**–पत्र संख्या–102 / जिला गंगा समिति / टि0ग0 दिनांक– 11.06.2025)

2. अभिहित अधिकारी, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, टि0ग0 के पत्र संख्या–एफ.डी.ए. / कोर्ट केस / 44 / 2025 / 172 दिनांक 16.06.2025**(संलग्न)** के द्वारा अवगत कराया गया है, कि मै0 ओशो गंगाधाम (जानकी कुटिया) के द्वारा फूड लाईसेंस प्राप्त न होने की दशा में खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार बिना अनुज्ञप्ति के नहीं कर सकता है। बिना अनुज्ञप्ति खाद्य कारोबार करने पर कारोबारकर्ता खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डनीय होने के कारण माननीय न्यायालय न्याय निर्णयक अधिकारी में दिनांक 05.12.2024 को अभियुक्त के विरुद्ध उचित कार्यवाही हेतु वाद दायर किया गया। उक्त प्रकरण में मा0 न्यायालय निर्णयक अधिकारी द्वारा कारोबारकर्ता पर खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(1), 26(2)(v), 26(3) (b) धारा–31 एवं अनुसूची 4 जो कि धारा – 55,56,58 व 63 का उल्लंघन करने पर दोषी साबित होने पर श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र प्रबन्धक, श्री जानकी कुटिया धर्माथ ट्रस्ट(ओशोगंगा धाम) ब्रह्मपुरी लीज न0– 52 बद्रीनाथ मार्ग, जनपद टिहरी गढवाल को रुपये 5000.00 (पॉच हजार) से दण्डित किया गया। वर्तमान में संस्थान के द्वारा खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत पंजीकरण कर लिया गया है जो कि दिनांक– 26.11.2030 तक वैध है।(**संलग्नः**– *(Fssai)* खाद्य सुरक्षा पंजीकरण प्रमाण पत्र)

3. जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढवाल के पत्र संख्या–774 / पेट्रोलियम अनु0 / 2025–26 / दिनांक–13.08.2025**(संलग्न)** द्वारा अवगत कराया गया है कि क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, चौदहबीघा के द्वारा दिनांक 11 अगस्त 2025 को जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट(ओशोगंगा धाम) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय भोजनालय में एल0पी0जी0 का कमर्शीयल सिलेण्डर संयोजित था। इस कमर्शियल सिलेण्डर के कागजात मांगने पर उनके द्वारा कमर्शियल सिलेण्डर का रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया गया। मै0 उमा गैस सर्विस, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 18.11.2024 को मै0 जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट, ब्रह्मपुरी, ऋषिकेश को कमर्शियल कनैक्शन निर्गत किया गया है तथा उनके द्वारा दिनांक 18.11.2024 एवं दिनांक 03.04.2025 को एल0पी0जी0 रिफिल करवायी गयी है।

4. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून के पत्र–यूकेपीसीबी / आरओडी / सा–(III) / दिनांक 25.10.2025 (संलग्न) के अन्तर्गत अवगत कराया गया है, कि ट्रस्ट के प्रतिनिधि स्वामी प्रेम चैतन्य जी की उपस्थिति में दिनांक–04.10.2025 को ट्रस्ट के मेन ऑफिस को

सील कर दिया गया है, एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के द्वारा परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को दिनांक–03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है।

5. अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन नरेन्द्रनगर के पत्र– एफ0एस0/नि0अ0/2023 दिनांक 08 दिसम्बर 2025(संलग्न) के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा दिनांक 05.12.2025 को आशो गंगा धाम (जानकी कुटिया) का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान अपरोक्त संस्थान के द्वारा निम्नलिखित प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है एवं सभी कार्यशील एवं सतोषजनक दशा में पाये गये –

1. ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा0 क्षमता	–	09 अदद्।
2. ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर 06 किग्रा0 क्षमता	–	03 अदद्।
3. सी.ओ.2 फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा0 क्षमता	–	02 अदद्।
4. होजरील	–	02 अदद्।
5. फायर अलार्म	–	01 अदद्।
6. समरसिबल पम्प	–	01 अदद्।
7. रिर्जव वाटर टैंक (5000X02)	–	10,000 ली0।

6. दिनांक–12.12.2025 को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि आश्रम में विद्युत विभाग द्वारा विच्छेदन किया गया, वह अभी पूर्ववत है, एवं ऑफिस जो कि पूर्व में सील किया गया था, वह भी यथावत् पाया गया। निरीक्षण के दौरान आश्रम में अग्निशमन उपकरणों में होजरील, फायर अलार्म एवं समर–सिबल पम्प के संचालन हेतु विद्युत की आवश्यकता होती है, जिनको 05.12.2025 को अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था पर उपकरणों की जॉच की गयी तथा शेष अन्य सभी अग्निशमन उपकरणों के संचालन हेतु विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान एक अन्य कक्ष जो कार्यालय के रुप में प्रयोग किया जा रहा था, को भी सील किया गया, तथा परिसर में रखे D.G.Set को भी सील किया गया है। (**संलग्नः**–पत्र संख्या–यूकेपीसीबी/आरओडी/एन.जी.टी.–121/3243–2495 दिनांक 16.06.2025)

7. दिनांक 25.12.2025 को राजस्व विभाग द्वारा स्थान ब्रह्मपुरी स्थित जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट(ओशोगंगा धाम) का स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण में पाया गया कि उक्त आश्रम में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन विच्छेदन किया गया है। विद्युत विभाग द्वारा आश्रम से विद्युत मीटर भी हटा दिया गया है, आश्रम का कार्यालय कक्ष सील्ड पाया गया है व आश्रम परिषद में एक जनरेटर सेट पाया गया है, उक्त जनरेटर सेट भी सील्ड पाया गया है।
(**संलग्नः**–पत्र संख्या–734/आर0ए0(जांच आख्या)–2025 नरेन्द्रनगर, दिनांक–26.12.2025)

(नितिका खण्डेलवाल) 1/1/2026
जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।

ANNEXURE-1

शीर्ष प्राथमिकता
मा0एन0जी0टी0 प्रकरण।

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या– 102 /जिला गंगा समिति टि0ग0/2025–26 नई टिहरी दिनांक 11, जून, 2025

1. क्षेत्रीय अधिकारी,
   उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
   देहरादून, उत्तराखण्ड।
2. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिकारी,
   नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।
3. जिला पूर्ति अधिकारी,
   टिहरी गढवाल।
4. अग्निशमन अधिकारी,
   नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल।

विषयः– मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–961/2024 में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के संबन्ध में।

उपरोक्त विषयक के कम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली, में योजित ओ0ए0 नं0– 961/2024 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2025 के द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 05 मैसर्स ओशो गंगा धाम(जानकी कुटिया) को उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा नोटिस संख्या–UKPCB/ROD/NGT-121/2024-25/2581-1325 दिनांक 13.11.2024, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के द्वारा नोटिस सख्यां– एफ0एस0/नि0अ0/2023 दिनांक 13.11.2024, अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल द्वारा नोटिस संख्या FS/Na/2023 दिनांक 13.11.2024 एवं जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढवाल के द्वारा नोटिस संख्या 865/40-29/PETO/2024-25 दिनांक 14.11.2024 के माध्यम से नोटिस जारी किये गये थे।

उपरोक्त अधिकारियों को उक्त उल्लिखित नोटिसों पर यधाशीघ्र उचित कार्यवाही करनें हेतु आदेश पारित किये गये हैं।

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली के उक्त आदेश को संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित किया जा रहा है कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा दिये गये निर्देशानुसार यधाशीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से एक सप्ताह के भीतर इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न–यथोपरि।

11/06/2025
अपर जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

11/06/2025
अपर जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

o/c

कार्यालय अभिहित अधिकारी खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, टिहरी गढ़वाल

(हिल टॉप सदन, भवन संख्या–बी010निकट सेक्टर–3बी.निकट मॉडल हाउस, नई टिहरी)

(do.fssauk.tehri@gmail.com, dotehri-Fda@uk.gov.in)

पत्र संख्या – एफ0डी0ए0 / कोर्ट केस / 44 / 2025 / 1172 दिनांक-16 जून , 2025

प्रेषित,

अपर जिलाधिकारी महोदय

टिहरी गढ़वाल।

विषय– मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–961 / 2024 के आदेश के सम्बन्ध में कार्यवाही विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय–जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या– 102 / जिला गंगा समिति टि0ग0 / 2025-26, नई टिहरी दिनांक 11 जून 2025 के क्रम में प्रतिवादी संख्या 05 मैसर्स ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया नोटिस के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही विन्दुवत् हैः–

1. महोदय आपको अवगत कराना है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेन्द्रनगर द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को समय लगभग 12.45 दोपहर को स्थान ब्रहमपुरी लीज न0–52 बद्रीनाथ मार्ग, जनपद टिहरी गढ़वाल में अवस्थित श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) का निरीक्षण किया गया जिसमें मौके पर श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र (प्रबन्धक) उपस्थित थे।
2. मौके पर निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में कमियां पायी जाने एवं कमियों में सुधार करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण देने हेतु मौके पर उपस्थित श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र प्रबन्धक , श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) को 03 दिनों का समय दिया गया। किन्तु निर्धारित समयावधि में कारोबारकर्ता श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र प्रबन्धक द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उक्त निरीक्षण से सम्बन्धित कोई भी स्पष्टीकरण / पत्र नहीं दिया गया जिसके क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा दिनांक 13 नवम्बर 2024 को पुनः अनुस्मारक पत्र विपक्षी को उनके ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित किया गया जिसमें विपक्षी को पुनः स्पष्टीकरण हेतु 03 दिन का समय प्रदान किया गया, किन्तु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत भी विपक्षी का कोई भी पत्र / स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध नहीं करवाया गया।
3. महोदय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार बिना अनुज्ञाप्ति के नहीं कर सकता हैं। बिना अनुज्ञाप्ति खाद्य कारोबार करने पर खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अन्तर्गत जुर्मान से दण्डनीय है। जुर्माने से दण्डनीय होने के कारण माननीय न्यायालय न्याय निर्णयक अधिकारी में दिनांक 05.12.2024 को अभियुक्त के विरूद्ध उचित कार्यवाही हेतु वाद दायर किया गया।
4. उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय न्याय निर्णयक अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26(1), 26(2)(v), 26(3) (b) धारा –31 एवं अनुसूची 4 जो कि अधिनियम की धारा –55, 56, 58 व 63 का उल्लंघन करने पर दोषी साबित होने पर श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र प्रबन्धक ,श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) ब्रहमपुरी लीज न0–52 बद्रीनाथ मार्ग, जनपद टिहरी गढ़वाल को रूपये 5000.00 (पांच हजार) से दण्डित किया गया।

अतः महोदय अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा उक्त से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की सूचना आपको प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

अभिहित अधिकारी,

खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन,टि0ग0

कार्यालय अभिहित अधिकारी खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन, टिहरी गढ़वाल
(हिल टॉप सदन, भवन संख्या–वी010निकट सेक्टर–3बी.निकट मॉडल हाउस, नई टिहरी)
(do.fssauk.tehri@gmail.com, dotehri-Fda@uk.gov.in)

fda

दिनांक-16 जून, 2025

पत्र संख्या – एफ0डी0ए0 / कोर्ट केस / 44 / 2025 / 172

प्रेषित,

अपर जिलाधिकारी महोदय
टिहरी गढ़वाल।

विषय– मा0एन0जी0टी0 में योजित मूल आवेदन संख्या–961 / 2024 के आदेश के सम्बन्ध में कार्यवाही विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कार्यालय–जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या– 102 / जिला गंगा समिति टि0ग0 / 2025–26, नई टिहरी दिनांक 11 जून 2025 के कम में प्रतिवादी संख्या 05 मैसर्स ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया नोटिस के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा आवश्यक कार्यवाही बिन्दुवत् है:–

1. महोदय आपको अवगत कराना है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नरेन्द्रनगर द्वारा दिनांक 15 अक्टूबर 2024 को समय लगभग 12.45 दोपहर को स्थान ब्रहमपुरी लीज न0–52 बद्रीनाथ मार्ग, जनपद टिहरी गढ़वाल में अवस्थित श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) का निरीक्षण किया गया जिसमें मौके पर श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र (प्रवन्धक) उपस्थित थे।
2. मौके पर निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में कामियां पायी जाने एवं कामियों में सुधार करने हेतु खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण देने हेतु मौके पर उपस्थित श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द प्रवन्धक , श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) को 03 दिनों का समय दिया गया। किन्तु निर्धारित समयावधि में कारोबारकर्ता श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र प्रवन्धक द्वारा अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उक्त निरीक्षण से सम्बन्धित कोई भी स्पटीकरण / पत्र नहीं दिया गया जिसके कम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नरेन्द्रनगर द्वारा दिनांक 13 नवम्बर 2024 को पुनः अनुस्मारक पत्र विपक्षी को उनके ई–मेल आई0डी0 पर प्रेषित किया गया जिसमें विपक्षी को पुनः स्पष्टीकरण हेतु 03 दिन का समय प्रदान किया गया, किन्तु निर्धारित अवधि के अन्तर्गत भी विपक्षी का कोई भी पत्र / स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध नहीं करवाया गया।
3. महोदय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 31(1) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का खाद्य कारोबार बिना अनुज्ञाप्ति के नहीं कर सकता हैं। बिना अनुज्ञाप्ति खाद्य कारोबार करने पर खाद्य कारोबारकर्ता खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 63 के अन्तर्गत जुर्मान से दण्डनीय है। जुर्माने से दण्डनीय होने के कारण माननीय न्यायालय न्याय निर्णयक अधिकारी में दिनांक 05.12.2024 को अभियुक्त के विरूद्ध उचित कार्यवाही हेतु वाद दायर किया गया।
4. उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय न्याय निर्णयक अधिकारी द्वारा खाद्य कारोबारकर्ता पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26(1), 26(2)(v), 26(3) (b) धारा –31 एवं अनुसूची 4 जो कि अधिनियम की धारा –55, 56, 58 व 63 का उल्लंघन करने पर दोषी साबित होने पर श्री मनोज पुत्र श्री रमेश चन्द्र प्रबन्धक ,श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) ब्रहमपुरी लीज न0–52 बद्रीनाथ मार्ग, जनपद टिहरी गढ़वाल को रूपये 5000.00 (पांच हजार) से दण्डित किया गया।

अतः महोदय अधोहस्ताक्षरी कार्यालय द्वारा उक्त से सम्बन्धित कृत कार्यवाही की सूचना आपको प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

O/C अभिहित अधिकारी,
खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन,टि0ग0

D.P.O. Namami Gange

Eat Right India

राष्ट्र

+F FORTIFIED

Scanned with OKEN Scanner

Registration Certificate
Government of Uttarakhand
Department of Food Safety
Food Safety and Standards Authority of India
Registration Certificate under FSS Act, 2006

उत्तराखण्ड शासन

पंजीकरण संख्या / Registration Number: **22625066000271**

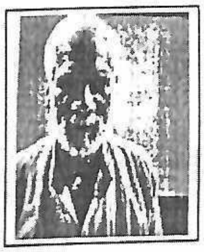

1.	Name and permanent address of Food Business Operator (FBO) / खाद्य व्यापार ऑपरेटर का नाम और स्थायी पता:	SHRI JANKI KUTIYA DHARMARTH TRUST LEESE NO- 52 BRHAMPURI, TAPOVAN , Tapowan , Narendranagar, Tehri Garhwal, Uttarakhand-249192
2.	Address of location where food business is to be conducted / premises / स्थान का पता जहां खाद्य व्यापार / परिसर है:	LEESE NO- 52 BRHAMPURI, TAPOVAN, Tapowan, Narendranagar, Tehri Garhwal, Uttarakhand - 249192
3.	Nearest Landmark / निकटतम स्थलचिह्न:	BRHAMPURI
4.	Kind of Business / कारोबार का प्रकार:	Food Vending Establishment
5.	Photo Identity Card / फोटो पहचान पत्र(विवरण) :	N/A

This Registration certificate is issued under and is subject to the provisions of FSS Act, 2006 all of which must be complied with by the petty food business. / यह पंजीकरण खाद्य संरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के अधीन अनुदत्त की गई और वह अधिनियम के उपबंधों के अध्यादीन है जिनका अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अवश्य पालन किया जाना चाहिए.

Place / स्थान: Tehri Garhwal
Issued On / दिनांक: 27-11-2025 (New Registration)
Valid Upto: / वैधता: 26-11-2030 (For details, refer Annexure)

Registering Authority
Date : 27-11-2025 15:58:55
User Id : 109276
License Issued On : 27-11-2025 15:58:55

Annexures:
1. Product Annexure
2. Validity Annexure
3. Registration Id Card

To download '**Food Safety Connect**' App, Scan the below QR

Android   iOS

Note:
1. **Application for renewal of Registration Certificate can be filed as early as 180 days prior to expiry date of Registration Certificate. You can file application for renewal or modification of Registration Certificate by login into FSSAI's Food Safety Compliance System(https://foscos.fssai.gov.in) with your user id and password or call us at 1800112100 for any clarification.**
2. **This Registration Certificate is only to commence or carry on food businesses and not for any other purpose.**

3. This is computer generated Registration Certificate and doesn't require any signature or stamp by authority.
4. This Registration Certificate is allowed to conduct food businesses activities having annual turnover upto Rs. 12 Lacs only.

Product Annexure

Registration Certificate
Government of Uttarakhand
Department of Food Safety
Food Safety and Standards Authority of India
Registration Certificate under FSS Act, 2006

उत्तराखण्ड शासन

पंजीकरण संख्या / Registration Number: **22625066000271**

Detail(s) of Food Item

[**Note:**Only standardised food products are allowed to be manufactured as per the list available on FoSCoS.]

Other than Manufacturer Unit	
Sl. No	**Name of the food category**
1	16 - Prepared Foods
2	15 - Ready-to-eat savouries
3	18- Indian Sweets and Indian Snacks & Savouries products
4	07 - Bakery products

Validation And Renewal Annexure

Registration Certificate
Government of Uttarakhand
Department of Food Safety
Food Safety and Standards Authority of India
Registration Certificate under FSS Act, 2006

उत्तराखण्ड शासन

पंजीकरण संख्या / Registration Number: **22625066000271**

Validity From	Validity Upto	Issued On	Fee Paid	Type
27-11-2025	26-11-2030	27-11-2025	500 INR	New

Suspension History

S.No	History	Date
N/A		

Current Status of Registration: Registration Certificate issued

Note:

1. Application for renewal of Registration Certificate can be filed as early as 180 days prior to expiry date of Registration Certificate. You can file application for renewal or modification of Registration Certificate by login into FSSAI's Food Safety Compliance System(https://foscos.fssai.gov.in) with your user id and password or call us at 1800112100 for any clarification.

Registration ID Card

Registration ID Card

Registration ID: 22625066000271

Valid Upto: 26-11-2030

Name: SHRI JANKI KUTIYA DHARMARTH TRUST

Address: LEESE NO- 52 BRHAMPURI, TAPOVAN, Tapowan, Narendranagar, Tehri Garhwal, Uttarakhand - 249192

KOB: Food Vending Establishment

Govt ID Card: N/A

Issuing Authority: Tehri Garhwal

Issued On: 27-11-2025

[Disclaimer:This Registration ID card is issued only for the provisions laid down under Food Safety and Standards Act, 2006 and hence, shall not be used for any other purpose.]

कार्यालय,
जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
एम–ब्लॉक, द्वितीय तल, नई टिहरी।
E-mail : dsotehri111@gmail.com

जिला कार्यालय प्राप्ति दिनांक 13/8/25 नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल

पत्रांकः– 774/पेट्रोलियम अनु0/2025–26, दिनांक : 13 अगस्त, 2025

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

DPO (नमामि गंगे)

विषयः– मा0 हरित प्राधिकारण में योजित मूल आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल 13/8/25

महोदया,

उपर्युक्त विषयक कृपया जिला कार्यालय के पत्र संख्या 119/जिला गंगा समिति (2025–26) टिहरी गढ़वाल दिनांक 08 अगस्त, 2025 का संज्ञान लेने का कष्ट करना चाहें। जिसके द्वारा मा0 हरित प्राधिकारण में योजित मूल आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के सम्बन्ध में नवीनतम कार्यवाही की सूचना यथा शीघ्र जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।

महोदया अवगत कराना है कि सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्र संख्या 743/ दिनांक 16 अक्टूबर, 2024 एवं अनुस्मारक पत्र संख्या 865/दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के द्वारा स्वामी/प्रबन्धक ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया), पट्टा संख्या 52, ब्रहमपुरी नरेन्द्रनगर, टि0ग0 को परिसर के कीचन में घरेलू गैस सिलेण्डरों का उपयोग किये जाने के दृष्टिगत प्रतिउत्तर उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत किया गया। साथ ही समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी/पूर्ति निरीक्षकों को पूर्व में दिये गये निर्देशों के कम में अपने क्षेत्रान्तर्गत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेण्डरो के सम्बन्ध में नियमित रूप से प्रवर्तन कार्य करते हुए लिखित आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे।

R. No. 5296 /ERK पंजिका सं0 12 दिनांक 14/8/25

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, चौहदबीघा द्वारा अपने पत्र संख्या 3022/दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 14.11.2024 को ओशो गंगा धाम, ब्रहमपुरी नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के भोजनालय का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर भोजनालय एवं स्टोर में घरेलू सिलिण्डर नही पाये गये। भोजनालय में कमर्शियल एल0पी0जी0 सिलेण्डरों उपयोग हो रहे थे। कमर्शियल एल0पी0जी सिलेण्डर के कागजाद व रसीद आदि मांगने पर प्रबन्धक/स्वामी उपलब्ध नही करवाये पाये। उनके द्वारा लिखित अवगत कराया गया कि ऋषि गैस सर्विस, ऋषिकेश द्वारा उन्हें कमर्शियल गैस की आपूर्ति की जाती है। जिसके सम्बन्ध में सम्बन्धित गैस एजेन्सी से ओशो गंगा धाम को आवंटित कमर्शियल एल0पी0जी कनैक्शन का विवरण एवं सिलेण्डर की रिफिल पर रसीद निर्गत न करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया।

उपरोक्त के कम में श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशो गंगा धाम) ब्रहमपुरी ऋषिकेश ने अपने पत्र दिनांक 14.12.2024 के द्वारा उक्त नोटिस का उत्तर दिया गया, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया है कि उक्त पत्र के अनुपालन में श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट के लिए दिनांक 18.11.2024 को कमर्शियल गैस सिलेण्डर के लिए रजिस्ट्रेशन करा दिया गया है। उक्त के कम में इस कार्यालय के पत्र संख्या 1102/पेट्रोलियम अनु0/2024–25 दिनांक 30 दिसम्बर, 2024 के द्वारा कार्यवाही आख्या महोदय की सेवा में भी सादर प्रेषित की गयी थी।

महोदय उक्त के कम में यह भी अवगत कराना है कि निर्देशों के अनुपालन में क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, चौदहबीघा ने अपने पत्र संख्या 1303/दिनांक 12 अगस्त 2025 के द्वारा अवगत कराया है कि उनके द्वारा 11 अगस्त, 2025 को मै0 गंगा धाम (श्री जानकी कुटिया धर्माथ ट्रस्ट (रजि0) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय भोजनालय में एल0पी0जी0 का कमर्शीयल सिलेण्डर संयोजित था। इस कमर्शियल सिलेण्डर के कागजात मांगने पर उनके द्वारा कमर्शियल सिलेण्डर का रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया गया। मै0 उमा गैस सर्विस, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 18.11.2024 को श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट, ब्रहमपुरी, ऋषिकेश को कमर्शियल कनैक्शन निर्गत किया गया है तथा उनके द्वारा दिनांक 18.11.2024 एवं दिनांक 03.04.2025 को एल0पी0जी रिफिल करवायी गयी है। (छायाप्रति संलग्न।)

अतः महोदय के निर्देशों के कम में कार्यवाही आख्या सादर प्रेषित है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करना चाहें।

भवदीय,

जिला पूर्ति अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

mail.

।। कार्यालय क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी, चौदहबीघा, मुनिकीरेती ।।

पत्रांक– 1305 /40 प्रवर्तन/2025-26 दिनांक 12 अगस्त, 2025

सेवा में,

जिला पूर्ति अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

विषय:– मा0 हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 961/2024, नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–749/पेट्रोलियम अनु0/2025-26, दिनांक 08 अगस्त, 2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मै0 गंगाधाम (जानकी कुटिया) का स्थलीय निरीक्षण कर आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं।

उक्त पत्र के अनुपालन में मेरे द्वारा दिनांक 11.08.2025 को मै0 गंगाधाम (श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि0) का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय भोजनालय में एल0पी0जी0 का कोर्मशियल सिलेण्डर संयोजित था। इस कोर्मशियल सिलेण्डर के कागजात मांगने पर उनके द्वारा कोर्मशियल सिलेण्डर का रजिस्ट्रेशन उपलब्ध कराया गया। मै0 उमा गैस सर्विस, ऋषिकेश द्वारा दिनांक 18–11–2024 को श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट, ब्रहमपुरी, ऋषिकेश को कोमर्शियल कनैक्शन निर्गत किया गया है (छाया प्रति संलग्न)।

मै0 उमा गैस सर्विस, ऋषिकेश से से उक्त कनेक्शन पर निर्गत कोमर्शियल गैस की सूचना मांगी गयी, तो उनके द्वारा अपने पत्र दिनांक 12.08.2025 के द्वारा अवगत कराया गया कि श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा दिनांक 18–11–2024 एवं 03–04–2025 को एल0पी0जी0 रिफिल करवायी गयी है (छाया प्रति संलग्न)।

अतः आख्या सेवा में सादर प्रेषित है।

भवदीय

12.8.25

क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी,
चौदहबीघा, मुनिकीरेती

पेट्रो० पटल

D.S.O
12/08/2025

जिला पूर्ति कार्यालय
प्र० पेट्रो० पटल
प्राप्ति संख्या 965
दिनांक 12/8/25

Scanned with OKEN Scanner

...STAN PETROLEUM CORPORATION LIMITED
(A GOVERNMENT OF INDIA ENTERPRISE)
REGISTERED OFFICE: 17, JAMSHEDJI TATA ROAD
MUMBAI- 400 020

HP GAS
your friendly gas

UNIQUE CONSUMER ID	12409734550000395
ID CODE	DOCUMENT TYPE
1	Subscription Voucher

DOC NO	DATE	[illegible]	PLANT CODE
1013990	18/11/2024	[illegible]	2144
CONSUMER NO	DEALER CODE	DEALER'S NAME AND ADDRESS	
400330	41075260	UMA GAS SERVICE [illegible] SHOPPING COMPLEX SHOP NO [illegible] OPP BHARDWAJ NURSING HOME HARIDWAR ROAD RISHIKESH, RISHIKESH RISHIKESH UTTARAKHAND 249201	

CONNECTION			REGISTRATION		EQUIPMENT	CODE	NOS	AMOUNT
TYPE	NATURE		NO	[illegible]	CYLINDER	064	5	12000.00
1	1	4	DATE	18/11/2024	REGULATOR	007	0	0.00
AMOUNT IN WORDS			Rupees twelve thousand only			TOTAL		12000.00
CONSUMER NAME			SHREE JANKI KUTIYA DHARMARTH TRUST					
CONSUMER ADDRESS			LEASE NO 52, BADRINATH ROAD, BRAHAMPURI RISHIKESH RISHIKESH RISHIKESH UTTARAKHAND 249137					

OLD PARTICULARS		DOCUMENT	NO	DATE
DEALER CODE		ORIGINAL SV	1013990	18/11/2024
SUPPLY PLANT CODE		CURRENT SV		
CONSUMER NO		ADDL SV		
OIL COMPANY		TV/CTA/SVCD		

1. Hindustan Petroleum Corporation Limited (hereinafter called "the corporation") loans to the consumer and the consumer takes on loan from the corporation cylinders and pressure regulators hereinafter collectively called "the equipment") required for the supply of the corporation's product viz. "HP gas" (hereinafter called the "gas")

2. The consumer shall deposit with the corporation an amount in accordance with the corporation's tariff in force from time to time as security for the due fulfilment by the consumer of his obligations. The corporation shall be under no obligation with regard to the manner of use or disposal of the funds received as deposit from the consumer nor shall it pay to the consumer any interest thereon.

3. The consumer shall remain responsible to the corporation for the safe custody of the equipment and shall not sell mortgage or otherwise dispose of the equipment or create any interest charge thereon in favour of any party.

4. The consumer shall not remove the equipment to any address other than that shown on the obverse thereof without obtaining the prior written permission of the corporation's dealer concerned hereinafter called "the dealer"). Further, in the event of the consumer's departure from the area serviced by the dealer, he shall return the equipment to the dealer.

5. The consumer shall not attempt to repair the equipment or cause or permit anyone other than the corporation to do the same and shall permit the dealer to remove the equipment for repair from the consumer's premises. The consumer shall not exchange the equipment with or have the cylinder refilled by anyone other than the corporation or the dealer, nor shall use the cylinder for any use other than as a container for the gas supplied by the corporation.

6. The consumer shall be liable for any loss of or damage to the equipment or any part thereof and shall reimburse to the corporation the value of the missing or damaged equipment or part in accordance with the corporation's tariff in force on the date of reimbursement.

7. The corporation and/or the dealer shall not be responsible for any failure and/or delay in supplying the gas to the consumer if such supply has been delayed, hindered or prevented by any circumstances whatsoever beyond the control of the corporation and/or the dealer.

8. Any sale by the dealer to the consumer of the gas appliances and their parts and accessories including rubber tubing/suraksha hose used for connecting the appliances to the equipment is effected by the dealer on his own account and in his own right.

9. The consumer shall use only appliances of a type approved by the ISI or the corporation.

10. All necessary installation work including the connection/disconnection of cylinder to/from the appliances and/or pressure regulator and the work of repairs to appliances and the regulator rubber tubing will be carried out at the consumer's expense and on his own responsibility by the dealer and not on behalf of corporation. The fact that the consumer is supplied "HP gas" shall not be deemed to impose any liability on the corporation with regard to the fitness or otherwise of the installation and/or repair work. The corporation and/or the dealer and/ or the person authorised by him or them shall, however, have the right to inspect the installation at any time and, if considered necessary, for reasons of safety, to refuse to supply the gas to the consumer.

11. The corporation shall not be liable for any loss or damage caused to any person or property as a result of the installation and/or the use of the gas by the consumer. In the event of any accident involving the consumer's installation, he shall forthwith inform the dealer.

12. The corporation as well as the consumer shall be at liberty to terminate the contract at any time by giving 15 days notice in writing. On termination of this contract the consumer shall return the equipment to the corporation and/or the dealer, thereafter refund the balance of the deposit made by the consumer with the corporation after deducting therefrom such amounts as may be due to the corporation.

13. As per the gazette of India notification dated 10th September, 2009 on LPG control order, 2000 a "household" means a family consisting of husband, wife, unmarried children and dependents living together in a dwelling unit having common kitchen can have one LPG connection in their "household" and in case if such family is having or avails a piped natural gas connection, or any of the LPG connection will be surrendered within 60 days failing which HPCL will cancel the LPG connection or the Refills can be taken at Non Subsidised rates.

14. The consumer shall pay the stamp duty, if any, in respect of the subscription voucher.

For subscription voucher only
(deposit will not be refunded without production of this document)

Gas consumer certificate: I/we acknowledge having received from HPCL the quantity of HP gas cylinder(s) and pressure regulator(s) mentioned in the nos. Column hereof on loan on the terms have been set out overleaf and by which I/we agree to abide. I/we have also received the HP gas instruction card.

Gas distributor's certificate: received on behalf of Hindustan petroleum corporation ltd., the amount mentioned above being the deposit of HP gas cylinder(s) and pressure regulator(s) in accordance with company's tariff.

For termination voucher only

Gas consumer's certificate: I/we declare that I/we have received the amount as mentioned above being the balance of the amount of deposit to my/our credit in accordance with the ...

Gas distributor's certificate: equipment received in good condition. This TV is valid for one year.

REMARKS: Regulator Serial No.:

STAMP DATE	DEALER'S SIGNATURE	TO BE SIGNED IN PRESENCE OF EACH OTHER	DATE	CONSUMER'S SIG

Scanned with OKEN Scanner

GAS

UMA GAS SERVICE

[illegible]

[illegible]

विषय: [illegible] कमर्शियल कनेक्शन की सूचना [illegible] उपलब्ध कराने के संबंध में।

संदर्भ: आपका पत्रांक आर.टी.आई./पु.प्रकोष्ठ/2025-[illegible] दिनांक 11/04/25 के संबंध में।

महोदय, [illegible] विषय के क्रम में निवेदन करना है,
कि आपका पत्र दिनांक 11/04/25 का व्हाट्सअप के माध्यम
से प्राप्त हुआ, आपके द्वारा श्री जानकी [illegible] धर्मार्थ
ट्रस्ट भवन नं०-52 केदारनाथ रोड ब्रह्मपुरी मेरठ के
को एक कमर्शियल कनेक्शन की सूचना माँगी गयी है
जिसमें आपके द्वारा दिनांक 18/11/24 से अब तक की रिफिल
की सूचना माँगी गयी है जिसकी सूचना हमारे द्वारा आपको
[illegible] को भेजी जा रही है।

धन्यवाद

संलग्न - रिफिल की सूचना की
छाया प्रति

भवदीय
(उमा गैस सर्विस)
मेरठ

HP GAS
your friendly gas

जिला कार्यालय
प्राप्ति दिनांक 12/8/25
नई टिहरी, टिहरी गढ़वाल

कायालय,
जिला पूर्ति अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
एम–ब्लॉक, द्वितीय तल, नई टिहरी।
E-mail : dsotehri111@gmail.com

पत्रांकः–749/पेट्रोलियम अनु0/2025–26, दिनांक : 08 अगस्त, 2025

DPO (नमामि गंगे)

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल 12/8/25

श्री मनोज कर्नाल
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी,
[illegible], टिहरी गढ़वाल।

विषयः– मा0 हरित प्राधिकारण में योजित मूल आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक जिला कार्यालय के पत्र सख्या 119/जिला गगा समिति (2025–26) टिहरी गढवाल दिनांक 08 अगस्त 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मैसर्स ओशों गंगा धाम (जानकी कुटिया) के सम्बन्ध में नवीनतम कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है।प्रकरण मा0 एन0जी0टी से सम्बन्धित है एवं सितम्बर के प्रथम सप्ताह में प्रकरण की सुनवाही नियत है।

आपने अपने पत्र संख्या 3022/40–गैस निरीक्षण/2024–25 दिनांक 14 नवम्बर, 2024 के द्वारा अवगत कराया था कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में ऋषि गैस सर्विस, ऋषिकेश से मै0 ओशों गंगा धाम (जानकी कुटिया) ब्रहमपुरी नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल को आवंटित कामर्शियल एल0पी0जी कनैक्शन का विवरण एवं एल0पी0जी0 सिलेण्डर की रिफिल पर रसीद निर्गत न करने के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण मांगा गया था जो अभी तक कार्यालय में अप्राप्त है।

मैसर्स ओशों गंगा धाम (जानकी कुटिया) ने अपने पत्र दिनांक 14 दिसम्बर, 2024 के द्वारा अवगत कराया था कि उनके ट्रस्ट द्वारा दिनांक 18.11.2024 को कमर्शियल गैस सलेण्डर के लिए पंजीकरण कर दिया गया है।

अतः उक्त पत्र आपको इस निर्देश के साथ प्रेपित किया जा रहा है कि आप उक्तानुसार ट्रस्ट का स्थलीय निरीक्षण कर नियामानुसार आवश्यक कार्यवाही करते हुए सम्बन्धित प्रकरण के सम्बन्ध में विस्तृत जॉच आख्या साक्ष्यों सहित अतिशीघ्र अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। जिससे प्रकरण के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदया को अवगत कराया जा सके।

संलग्नः– यथोक्त।

जिला पूर्ति अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपिः– जिलाधिकारी महोदया के अनुपालनार्थ सादर प्रेषित।

जिला पूर्ति अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

F. '674923 IA/ ...-226/ERIC ANNEXURE-4
28-10-2025

10/2025

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्डप्रदूषणनियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001
टेलीफोननं.–0135–3593200

LiFE Lifestyle For Environment

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी/आरओडी/सा–73 (III)/2025–26/2714 — 2277 दिनांक 25/10/25

ADM/DC/DPO (NG)
जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।
28-10-2025

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन
46बी., आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़
देहरादून।

विषय– **M/s Shri Janki Kutiya Dharmarth Trust (Osho Ganga Dham), Brahampuri, Rishikesh, Narendranagar, Tehri के सीलिंग की कार्यवाही के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या–UKPCB/HO/G-183-806/2025/991 Date 11.09.2025 के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा ट्रस्ट के प्रतिनिधि स्वामी प्रेम चैतन्य जी की उपस्थिति में दिनांक 04.10.2025 को ट्रस्ट के मेन ऑफिस को सील कर दिया गया एवं इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–यूकेपीसीबी/आर.ओ.डी./सा–73(Vol-2)/2025–26/2255–2074 दिनांक 20.09.2025 के कम में अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल के पत्रांक संख्या–3039/वि0वि0ख0टि0/दिनांक 04.10.2025 के द्वारा परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को दिनांक 03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है। **(छायाप्रति संलग्न)**

उक्त कार्यवाही का विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–प्रभारी अधिकारी कृते जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को उनके पत्रांक संख्या–119/जिला गंगा समिति (2025–26) टिहरी गढ़वाल दिनांक 08 अगस्त, 2025 के कम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

25/10/2025
क्षेत्रीय अधिकारी

UTTARAKHAND POWER CORPORATION LTD.

(उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0)

ROD/ UKPCB

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
(Govt of Uttarakhand Undertaking)
ELECTRICITY DISTRIBUTION DIVISION TEHRI
TEHRI GARHWAL
TELE. ☎ : 01376-233117
FAX NO : 01376-233117
E-Mail :- eddteh@Yahoo.com

उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
विद्युत वितरण खण्ड टिहरी
टिहरी गढ़वाल
दूरभाष 01376-233117
फैक्स नं0. 01376-233117
E-Mail :- eddteh@Yahoo.com

Dairy No. 2570 Date 13/10/2025

पत्रांकः—3039 / वि0वि0ख0टि0 / दिनांकः—04.10.2025

विषयः— M/s Shri Janki Kutiya Dharmarth Trust, (Osho Ganga Dhaam), Brahmpuri, Rishikesh, Tehri के विद्युत विच्छेदन के सम्बन्ध में।

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
ई—115, नेहरू कालोनी, देहरादून।

उपरोक्त विषयक आप अपने कार्यालय पत्रांक यूकेपीसीबी / आरओडी / सा—73 (Vol-2)/2025-26/2255-2074 दिनांक 20.09.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आपके द्वारा उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को विच्छेदन करने हेतु लिखा गया है।

उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि उक्त परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को दिनांक 03.10.2025 को स्थाई विच्छेदित कर दिया गया है।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

(अमित आनन्द)
अधिशासी अभियन्ता

SA(P)
वै० अ०
17/10/2025

d revenue ae(r)\hindi letters\ado muni ki reti doc

बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक सं० UKPCB/HO/Gen-183-806/2025/991 dated 11.9.2025 के अनुपालन में आज दिनांक 04/10/2025 को मैं० श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (ओशो गंगा धाम) ब्रह्मपुरी (ऋषिकेश) नरेन्द्र नगर टिहरी गढ़वाल के मेन आफिस को सील किया गया, सीलिंग के समय श्री स्वामी प्रेम चैतन्य जी उपस्थित थे निरीक्षण के समय विद्युत विभाग के एस०डी०ओ० श्री नरेन्द्र सिंह नेगी द्वारा दूरभाष पर अवगत कराया गया कि दिनांक 3/10/2025 को उक्त आश्रम का विद्युत विच्छेदन कर दिया गया है जिसकी सूचना अधिशासी अभियन्ता के माध्यम से राज्य बोर्ड को प्रेषित की जायेगी। सीलिंग के समय आश्रम के स्वामी जी को कहा गया कि सीलिंग की सुरक्षा उनके द्वारा की जायेगी एवं आश्रम का संचालन से पूर्व बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त की जाय

आश्रम के प्रतिनिधि का नाम

श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (पंजी०)
ब्रह्मपुरी, तपोवन, बद्रीनाथ रोड (ऋषिकेश)
जिला टिहरी गढ़वाल (उत्तरांचल)
4/10/25

4/10/25
(Ravindra Pradhan)
SA

4.10.2025
(S.S. Chauhan)
ASO

जिला कार्यालय
प्राप्ति दिनांक
टिहरी गढ़वाल
D.P.O (NG.)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल।
पत्रांक–: एफ0एस0/मि0अ0/2023, दिनांक:दिसम्बर08 ,2025।

सेवामें,

प्रभारी अधिकारी
कृते– जिलाधिकारी
जनपद टिहरी गढ़वाल।

विषय–: **मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 961/2024, नितिनदेव बनाम उत्तराखण्ड सरकार मे दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया आपके आदेश पत्रांक–:147/जिला गंगा समिति/एन.जी.टी.(2025–26) नई टिहरी, दिनांक दिसम्बर 04,2025 जोकि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 961/2024, नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 के अनुपालन में प्रतिवाद संख्या 05 मैसर्स आशो गंगा धाम (जानकी कुटिया) को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.06.2025 के द्वारा उक्त संस्थान में अग्निनिरोधक व्यवस्थाओं का प्रावधान नहीं किये जाने के क्रम में अतिथि तक कृत कार्यवाही का विवरण उपलब्ध किये जाने विषयक है।

उपरोक्त क्रम में सादर अवगत कराना है कि पूर्व में सम्बन्धित संस्थान को इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 15.10.2024, 14.01.2025 को मानकानुसार अग्निशमन व्यवस्थाओं को प्रावधान किये जाने हेतु सुझाव प्रेषित किये गये, दिनांक 17.06.2025 को सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण किया गया, तद् तिथि को सम्बन्धित के द्वारा दिये गये सुझावों के अनुरूप अग्निनिरोधक व्यवस्थाओं का प्रावधान नहीं किया गया था, पुनः मुझ अद्योहस्ताक्षरी के द्वारा दिनांक 05.12.2025 को सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के दौरान उपरोक्त संस्थान के द्वारा निम्नलिखित प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थाओं का प्रावधान किया गया है–:

1.	ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर 04 किग्रा0 क्षमता	–	09 अदद्।
2.	ए.बी.सी. फायर एक्सटिंग्यूशर 06 किग्रा0 क्षमता	–	03अदद्।
3.	सी.ओ.2 फायर एक्सटिंग्यूशर 4.5 किग्रा0 क्षमता	–	02 अदद्।
4.	होजरील	–	02 अदद्।
5.	फायर अलार्म	–	01 अदद्।
6.	समरसिबल पम्प	–	01 अदद्।
7.	रिर्जव वाटर टैंक (5000X02)	–	10,000 ली0।

निरीक्षण तिथि दिनांक 05.12.2025 को उरोक्त उपलब्ध प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थायें कार्यशील एवं सतोषजनक दशा में है।

अतः उपरोक्तानुसार कृपया रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

08/12/25
(शंकर चन्द रमोला)
प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
नरेन्द्रनगर,(टि0ग0)।

प्रतिलिपि–:मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल को कृपया सादर सेवा में प्रेषित है।

2857 R. No. 5347 /ERK.........
पंजिका सं0......12.......दिनांक 25/6/25

जिला कार्यालय प्राप्ति दिनांक 24-06-25 नई टिहरी

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल।
पत्रांकः– एफ0एस0 / नि0अ0 / 2023, ADM/OC/ALC-II x दिनांक जून 22, 2025।

DPO (नमामि गंगे)

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी
जनपद टिहरी गढ़वाल।

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल। 24/6/25

महोदय,

कृपया आपके आदेश पत्रांकः 102 / जिला गंगा समिति टि0ग0 / 2025–26 नई टिहरी, दिनांक 11.06.2025 जो कि मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 961 / 2024, में पारित आदेश संख्या 26.05.2025 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 05, मैसर्स ओशो गंगा धाम (जानकी कुटिया) को इस कार्यालय के समसख्यंक पत्र दिनांक 15.10.2024 में दिये गये सुझाव के अनुरूप उचित कार्यवाही किये जाने विषयक है।

उपरोक्तानुसार इस कार्यालय के पत्रांकः– एफ0एस0 / नि0अ0 / 2023, दिनांक 15.10.2024 के माध्यम से मैसर्स श्री जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट (ओशो गंगा धाम) लीज नं0 52, ब्रह्मपुरी, बद्रीनाथ रोड़ टिहरी गढ़वाल, बिन्दुवार सुझाव प्रेषित किये गये है, उपरोक्त क्रम में सम्बन्धित संस्थान के द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.11.2024 के माध्यम से इस कार्यालय से दिये गये सुझाव के सम्बन्ध में राज्य एवं स्थानीय प्रशासन के द्वारा जारी नियमों एवं आदेशों की प्रति उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी, जिसके सापेक्ष इस कार्यालय के समसख्यंक पत्र दिनांक 14.01.2025 को सम्बन्धित संस्थान को एन0बी0सी0 2016, उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी शासनादेशों की छायाप्रति उपलब्ध कराई गयी है।

उपरोक्त क्रम में मुझ अद्योहताक्षरी के द्वारा दिनांक 17.06.2025 को सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण किया गया, सम्बन्धित के द्वारा अभी तक अपने संस्थान में दिये गये सुझाव के अनुरूप अग्नि निरोधक व्यवस्थाओं का प्रावधान नहीं किया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार अनुपालन आख्या कृपया सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक–: यथोपरि।

(शंकर चन्द रामोला)
प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
नरेन्द्रनगर,(टि0ग0)।

प्रतिलिपि–: मुख्य अग्निशमन अधिकारी महोदय जनपद टिहरी गढ़वाल को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित।

R. No. 5347 /ERK.........
पंजिका सं0......12.......दिनांक 25/6/25

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी फायर स्टेशन नरेन्द्रनगर जनपद टिहरी गढ़वाल।
पत्रांक- एफ0एस0/नि0अ0/2023
दिनांक जनवरी 14- 2025।

स्वामी/प्रबन्धक
श्री जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट(ओशो गंगा धाम)
लीज न0 52, ब्रहमपुर, बद्रीनाथ रोड,
टिहरी गढ़वाल।

कृपया आपके पत्र दिनांकित 26.11.2024 जो कि आपके द्वारा इस कार्यालय के समसख्यंक पत्र दिनांक 15.10.2024 के क्रम में उल्लेख कर प्रेषित किया गया है, जिसमें आपके द्वारा अपने आश्रम/संस्थान में योग, ध्यान, साधना हेतु प्रयोजन का उल्लेख कर राज्य एवं स्थानीय प्रशासन के नियमो एव आदेशो का अनुपालन करने के दृष्टिगत सम्बन्धित नियमों की जानकारी उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्तानुसार जैसा कि आप विदित है कि आपके आश्रम/संस्थान में योग, ध्यान तथा साधना के दृष्टिगत आम जनमानस का आवागमन बना रहता है, साथ ही आपके द्वारा अपने परिसर मे सम्बन्धित पयर्टक/योग साधको को ठहराया जाना भी प्रकाश में आया है, जिस कारण उक्त स्थल पर अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था का प्राविधान किया जाना आम जनमानस के हित में अति आवश्यक है, आपके परिसर के आसपास वन क्षेत्र भी उपलब्ध है, ग्रीष्मकाल में वनाग्नि के दृष्टिगत भी उक्त परिसर मे पर्याप्त अग्नि-निरोधक व्यवस्थाओं का उपलब्ध रहना आवश्यक है, ताकि आप भी किसी विपरीत परिस्थितियों मे सम्बन्धित प्राथमिक अग्निशमन उपकरणों का प्रयोग अपनी सुरक्षा हेतु कर सके।

आपके परिसर/संस्थान में अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पार्ट-04, फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के टेबल-07 के क्रमांक संख्या D, Type of Building Occupancy Hotels (A-5) III Floor area exceeding 1000 m² on any of the floor में रखते हुये सम्बन्धित टेबल में उल्लेखित अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्थाओ का प्राविधान आपके द्वारा किया जाना आवश्यक है, (छायाप्रति संलग्न) उक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड भवन निर्माण एवं विकास उपविधि के शासनादेश संख्या-837/वी-2-2016-127 (आ0)/15-टी0सी0 देहरादून दिनांक 03 जून, 2016 के मानकानुसार भवन निर्माण एव प्रर्याप्त सैट बैक का प्रावधान किया जाना अपेक्षित है। (छायाप्रति संलग्न)

उपरोक्त के अतिरिक्त आपके आश्रम/संस्थान में योग, ध्यान तथा साधना के दृष्टिगत आम जनमानस का आवागमन बने रहने एवं उनके प्रवास के दृष्टिगत उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 191/XXXVI(3)2022/36(1)/2022 दिनांक 21 जुलाई 2022 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का उल्लेख किया गया है।(छायाप्रति संलग्न)

अतः आपके द्वारा इस कार्यालय से अपेक्षित दिशा-निर्देशा, नियम एवं आदेशों की छायाप्रति की अपेक्षा की गयी है, जिसकी जानकारी आपको विस्तृत रूप में दी जा रही है, उपरोक्तानुसार नेशनल बिल्डिंग कोड 2016 के पार्ट-04, फायर एण्ड लाईफ सेफ्टी के टेबल-07 एव उक्त शासनादेश के अनुरूप अग्नि-निरोधक व्यवस्थाओ का प्रावधान कर अनुपालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-: यथोपरि।

(शंकर चन्द रामोला)
प्रभारी अग्निशमन अधिकारी
नरेन्द्रनगर,(टि0ग0)।

Received
Mani Kumar
(Manager)
...36745

Supplied by Book Supply Bureau Under the License from BIS for LARSEN AND TOUBRO CONSTRUCTION - MANAPAKKAM, CHENNAI ON 17-03-2017 08:57:36 (123.63.24.35) valid upto 11-12-2017

Table 7 — (*Continued*)

Sl No.	Type of Building Occupancy	Type of Installation								Water Supply (litre)		Pump Capacity (litre/min)	
		Fire Extinguisher	First Aid Hose Reel	Wet Riser	Down Comer	Yard Hydrant	Automatic Sprinkler System	Manually Operated Electronic Fire Alarm Systems (*see* Note 1)	Automatic Detection and Alarm System (*see* Note 2)	Under-ground Static Water Storage Tank Combined Capacity for Wet Riser, Yard Hydrant and Sprinklers per Set of Pumps	Terrace Tank over Respective Tower Terrace	Pump Near Underground Static Water Storage Tank (Fire Pump) with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm² at Remotest Location	At the Terrace Tank Level with Minimum Pressure of 3.5 kg/cm²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
2)	15 m and above but not exceeding 35 m in height	R	R	NR	R	NR	R (*see* Note 4)	R (*see* Note 8)	NR	NR	25 000	NR	900
3)	Above 35 m but not exceeding 45 m in height	R	R	R	NR	NR	R (*see* Note 4 and Note 9)	R	NR	75 000	5 000	(*see* Note 10)	NR
4)	Above 45 m in height but not exceeding 60 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	NR	150 000	10 000	(*see* Note 11)	NR
5)	Above 60 m in height	R	R	R	NR	R	R	R	R	200 000	10 000	(*see* Note 12 & Note 13)	NR
d)	Hotels (A-5)												
1)	Less than 15 m in height												
	i) Floor area not exceeding 300 m² on any of the floor	R	R	NR	NR	NR	R (*see* Note 4)	R	NR	NR	5 000 (5000) (*see* Note 6)	NR	450 (450) (*see* Note 6)
	ii) Floor area exceeding 300 m² but not more 1 000 m² on any of the floor	R	R	R (*see* Note 7)	NR	NR	R (*see* Note 4)	R	R	10 000 for every 500 m² floor area subject to minimum of 50 000 (*see* Note 7)	10 000 (5000) (*see* Note 6)	(*see* Note 14 in case of provision of wet riser)	450 (450) (*see* Note 6)
	iii) Floor area exceeding 1 000 m² on any of the floor	R	R	R (*see* Note 15)	NR	R	R	R (*see* Note 1)	R	100 000 (*see* Note 15)	10 000 (*see* Note 4)	(*see* Note 15 and Note 14)	NR

Supply Bureau Under the License from BIS for LARSEN AND TOUBRO CONSTRUCTION - MANAPAKKAM, CHENNAI ON 17-03-2017 08:57:36 (123.63.24.35)

(ii) व्यवसायिक/कार्यालय

व्यवसायिक/ कार्यालय भूखण्ड का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)	सेट बैक (मीटर में) न्यूनतम आवश्यक							
	मैदानी क्षेत्र				पर्वतीय क्षेत्र			
	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व–1	पार्श्व–2	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व–1	पार्श्व–2
200 तक	4.5	–	–	–	3.0	–	–	–
400 तक	6.0	2.0	3.0	–	4.0	–	–	–
600 तक	7.5	3.0	3.0	–	5.0	2.0	2.0	–
1000 तक	8.0	3.0	4.0	1.5	6.0	3.0	3.0	1.5
1500 तक	9.0	4.0	4.5	3.0	7.0	4.0	3.5	3.0
3000 तक	10.0	5.0	4.5	4.5	8.0	5.0	4.5	4.5
3000 से अधिक	12.0	6.0	6.0	6.0	9.0	6.0	6.0	6.0
मॉल /मल्टीप्लेक्स :								
4000 तक	14.0	6.0	6.0	6.0	10.0	6.0	6.0	6.0
4001 से 15000 तक	16.0	7.0	7.0	7.0	12.0	6.0	6.0	6.0
15001 से 50000 तक	18.0	8.0	8.0	8.0	14.0	6.0	6.0	6.0
50000 से अधिक	20.0	9.0	9.0	9.0	18.0	6.0	6.0	6.0

टिप्पणी–

1. भूखण्ड के रिटेनिंग वॉल की ओर भवन निर्माण न्यूनतम 1.2 मीटर खुला छोड़ने के उपरान्त अनुमन्य होगा।
2. व्यवसायिक निर्माण हेतु पार्श्व अथवा पृष्ठ भाग में स्थित सड़क पर कोई ओपनिंग अथवा दुकानें नहीं खोली जायेगीं। यदि कोई ओपनिंग/दुकानें पार्श्व अथवा पृष्ठ सेट बैक की ओर खोली जाती है तो ऐसी दशा में उस ओर फ्रन्ट के बराबर सेट बैक छोड़ा जाना अनिवार्य होगा।
3. भूखण्ड की स्थिति एक से अधिक मार्गो पर होने की दशा में (ऐसे भूखण्ड जिसमें पार्श्व/ पृष्ठ सेट बैक आवश्यक नहीं है) फ्रन्ट सेट बैक अधिक चौड़े मार्ग की ओर होगा एवं दूसरे मार्ग की ओर न्यूनतम 3.0 मीटर सेट बैक आवश्यक होगा।

(स) शिक्षण संस्थायें/चिकित्सा /सामुदायिक सुविधाएं/सभा भवन

भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	सेट बैक (मीटर में) न्यूनतम आवश्यक							
	मैदानी				पर्वतीय			
	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व–1	पार्श्व–2	अग्र	पृष्ठ	पार्श्व–1	पार्श्व–2
1000 तक	6.0	4.5	3.6	3.6	4.5	3.6	3.6	3.6
1001 से 3000 तक	7.5	4.5	4.5	4.5	5.0	4.5	4.5	3.6
3001 से 8000 तक	9.0	6.0	4.5	4.5	7.5	5.0	4.5	4.5
8001 से 15000 तक	12.0	6.0	6.0	6.0	9.0	6.0	6.0	6.0
15001 से 35000 तक	15.0	6.0	6.0	6.0	12.0	6.0	6.0	6.0
35000 से अधिक	18.0	6.0	6.0	6.0	15.0	6.0	6.0	6.0

* **टिप्पणी:– नव प्रस्तावित स्कूलों में (नर्सरी स्कूल को छोडकर) अग्र सेट बैक की 6.0 मीटर की चौड़ाई को मार्ग की ओर विजिटर पार्किंग हेतु छोडते हुये अग्र बाउण्ड्री वॉल का निर्माण किया जायेगा ।**

* शा0देश संख्या–1798, दिनांक 08.12.2016 द्वारा संशोधित।

NR-440 (5)

क्रम संख्या–59 (घ) पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 21 जुलाई, 2022 ई0

आषाढ़ 30, 1944 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 191 / XXXVI (3) / 2022 / 36(1) / 2022

देहरादून, 21 जुलाई, 2022

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) विधेयक, 2022' पर दिनांक 20 जुलाई, 2022 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या: 06 वर्ष, 2022 के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

NR-440

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2022

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 06, वर्ष 2022)

उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम 2016 में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1.	(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2022 है। (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
धारा 15 में संशोधन	2.	उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 2016, (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है), में धारा 15 की उपधारा (4) को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात् :- "(4) समस्त आवासीय भवन, जो बारह मीटर या इससे ऊँचे है तथा औद्योगिक/व्यावसायिक (कवर्ड एरिया 500 वर्ग मीटर से अधिक हो) अधिष्ठान है और विस्फोटक, तीव्र ज्वलनशील पदार्थों का भण्डारण अथवा उपयोग करते हैं, को उप निदेशक (तकनीकी) या मुख्य अग्निशमन अधिकारी, यथास्थिति, अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है, अग्निशमन अधिकारी/नाम निर्दिष्ट प्राधिकारी की संस्तुति के आधार पर अनापत्ति प्रमाण पत्र उप निदेशक (तकनीकी) के अनुमोदनोपरान्त मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा"
धारा 18 का संशोधन	3.	मूल अधिनियम की धारा 18 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात् :-

"बारह मीटर से अधिक ऊँचाई तथा 500 वर्ग मीटर से अधिक कवर्ड एरिया वाले प्रत्येक भवन चाहे विद्यमान हो या परिनिर्माणाधीन हो, जिसका उपयोग किसी ऐसे प्रयोजन यथा शारीरिक या मानसिक बीमारी, रोगों या दौर्बल्य से पीड़ित व्यक्तियों, शिशुओं के मामले, स्वास्थ्य लाभकर्ताओं या वयोवृद्ध व्यक्तियों की चिकित्सीय या अन्य उपचार या देखभाल करने या शास्ति या सुधारात्मक निरोध, जिसमे अंतःवासी की स्वतंत्रता निर्बन्धित है दुकान, बाजार, शयनवास, होटल या किराये के लिए सुसज्जित कमरों वाले मकान, शैक्षिक संस्थान, सभा भवनों, जहाँ जन समुदाय मनोरंजन, आमोद, सामाजिक धार्मिक , देश--प्रेम सम्बन्धी नागरिक यात्राओ या तत्समय प्रयोजनों के लिये इकट्ठा या एकत्रित होना सम्भावित हो के लिए योजना प्रस्तुत की जाएगी और सरकार द्वारा प्राधिकृत प्राधिकारी से अनुज्ञा प्राप्त की जाएगी कि अग्नि से सुरक्षा व्यावहारिक रूप से युक्तियुक्त रूप से प्राप्य है और प्राप्त की जा सकती है।"

व्यावृत्ति 4. उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा, अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2022 (उत्तराखण्ड अध्यादेश संख्याः 02 वर्ष, 2022) के अधीन की गयी कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गयी समझी जायेगी।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,

प्रमुख सचिव।

TH1 - 17.02

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या– 151 /जिला गंगा समिति/एन0जी0टी0 (2025–26) नई टिहरी दिनांक 11 दिसम्बर, 2025

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महादेय,

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के क्रम में आपके द्वारा कार्यालय पत्र संख्या–यूकेपीसीबी/आरओडी/सा–(III)/ दिनांक 25.10.2025 में उल्लेख किया गया है कि ट्रस्ट के प्रतिनिधि स्वामी प्रेम चैतन्य जी की उपस्थिति में दिनांक– 04.10.2025 को ट्रस्ट के मेन ऑफिस को सील कर दिया गया है एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के द्वारा परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को दिनांक–03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है। प्रकरण में मा0 प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन के क्रम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा कार्यालय पत्र संख्या–एफ0एस0/नि0अ0 दिनांक–08.12.2025 **(प्रति संलग्न)** में उल्लेख किया गया है कि दिनांक–05.12.2025 को सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण किया गया, तथा निरीक्षण के दौरान संस्थान में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थायें स्थापित की गयी हैं एवं वर्तमान समय में कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पायी गयी हैं।

उक्तानुसार आपकी अनुपालन आख्या के अनुसार ट्रस्ट के मेन ऑफिस को सील करते हुये विद्युत संयोजन को दिनांक–03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है, जबकि प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर की अनुपालन आख्या के अनुसार ट्रस्ट में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थायें स्थापित की गयी हैं एवं वर्तमान समय में कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पायी गयी हैं। उक्त दोनों अनुपालन आख्याओं में विरोधाभाष उत्पन्न हो रहा है। यदि ट्रस्ट को सील/विद्युत विच्छेदन किया गया है, तो अग्नि शमन विभाग द्वारा सील किये गये ट्रस्ट का निरीक्षण कैसे किया गया और बिना विद्युत के ट्रस्ट में स्थापित उपकरणों का संतोषजनक निरीक्षण किस आधार पर किया गया है।

अतः तदनुसार आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप संबंधित विभाग से समन्वय स्थापित करते हुये ओशो गंगाधाम(जानकी कुटिया), ब्रहमपुरी, मुनिकीरेती का भौतिक सत्यापन करते हुये संयुक्त अद्यावधिक अनुपालन आख्या तीन (03) दिवस के अन्दर इस कार्यालय को अनिवार्यरूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे प्रकरण जिलाधिकारी महोदया के समक्ष रखा जा सके।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रतिलिपिः–

01– जिलाधिकारी महोदया की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
02– अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

प्रभारी अधिकारी,
कृते–जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

o/c

18-12-25

R-634/EAK
19-12-25

UTTARAKHAND
UKPCB

LiFE
Lifestyle For Environment

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई–115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून–248001
टेलीफोन नं.–0135–3593200..

पत्रांक सं0–यूकेपीसीबी / आरओडी / एन.जी.टी.–121 / 2025–26 / 3243-2495 दिनांक: 15-12-2025

ADM/oc/DPO

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी,
कृते जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल
19-12-25

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–961 / 2024 नितिन देव बनाम् उत्तराखंड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बंध में।

महोदय,

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–961 / 2024 नितिन देव बनाम् उत्तराखंड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल के पत्रांक संख्या 151 / जिला गंगा समिति / एन.जी.टी. (2025–26) नई टिहरी, दिनांक 11 दिसम्बर, 2025 के अनुक्रम में मै0 ओसो गंगा धाम (जानकी कुटिया) बह्मपुरी, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल का दिनांक 12.12.2025 को उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग, टिहरी गढ़वाल के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण किया गया।

उपरोक्तानुसार ओसो गंगा धाम (जानकी कुटिया) बह्मपुरी, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल की संयुक्त निरीक्षण आख्या व फोटोग्राफ संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

भवदीय,

15/12/2025
(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि–

1. सदस्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड"गौरा देवी पर्यावरण भवन" 46बी, आई0टी0पार्क, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. जिलाधिकारी महोदया, टिहरी गढ़वाल को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम् उत्तराखंड सरकार मे दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में ओसो गंगा धाम (जानकी कुटिया) ब्रह्मपुरी, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल की संयुक्त निरीक्षण आख्या।

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम् उत्तराखंड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल के पत्रांक संख्या 151/जिला गंगा समिति/एन.जी.टी. (2025–26) नई टिहरी, दिनांक 11 दिसम्बर 2025, प्रकरण ओसो गंगा धाम (जानकी कुटिया) ब्रह्मपुरी, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल का दिनांक 12.12.2025 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण में उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग, टिहरी गढ़वाल के अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि आश्रम में विद्युत विभाग द्वारा द्वारा विद्युत विच्छेदन किया गया, वह अभी पूर्ववत है एवं जो ऑफिस पूर्व में सील किया गया था वह भी यथावत् पाया गया। निरीक्षण के दौरान आश्रम परिसर में अग्निशमन व्यवस्थाओं हेतु स्थापित उपकरणों का विवरण निम्नानुसार है:–

क्र0 सं0	उपकरण का नाम	क्षमता	संख्या
1	ए0बी0सी0 फायर, एक्सटिंग्यूशर	04 किग्रा.	09
2	ए0बी0सी0 फायर, एक्सटिंग्यूशर	06 किग्रा.	03
3	सी0ओ02 फायर, एक्सटिंग्यूशर	4.5 किग्रा.	02
4.	होजरील	–	02
5.	फायर अलार्म	–	01
6	समरसिबल पम्प	–	01
7	रिजर्व वाटर टैंक	5000X2	10,000 ली.

उक्त तालिका में वर्णित अग्निशमन उपकरणों में बिन्दु संख्या 04, 05 व 06 के संचालन हेतु विद्युत की आवश्यकता होती है, जिनकी दिनांक 05.12.2025 को अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था कर उपकरणों की जॉच की गयी तथा शेष अन्य सभी अग्निशमन उपकरणों के संचालन हेतु विद्युत की आवश्यकता नहीं होती है। संयुक्त निरीक्षण के दौरान एक अन्य कक्ष जो कार्यालय के रूप में प्रयोग किया जा रहा था, को भी सील किया गया। तथा परिसर में रखे D.G.Set को भी सील किया गया है। वर्तमान में आश्रम में ट्रस्टी, सेवादार एवं कर्मचारी निवासरत हैं। निरीक्षण के दौरान आश्रम प्रतिनिधियों को निर्देशित किया गया कि आश्रम का संचालन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से बिना जल-वायु सहमति प्राप्त किये कदापि न किया जाये। निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ संलग्न है।

उपरोक्तानुसार ओसो गंगा धाम (जानकी कुटिया) ब्रह्मपुरी, मुनि की रेती, टिहरी गढ़वाल की संयुक्त निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

15/12/2025		15/12/2025
(एस0एस0 चौहान)	(शंकर चन्द रमोला)	(अमित पोखरियाल)
सहा0वैज्ञा0अधिकारी,	प्रभारी अग्नि शमन अधिकारी,	क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,	नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल	उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
देहरादून		देहरादून

Rishikesh, Uttarakhand, India
Lease No, Jaanaki Cottage, 52, Badrinath Rd,
Brahmpuri, Rishikesh, Uttarakhand 249192, India
Lat 30.130867° Long 78.347773°
Friday, 12/12/2025 02:11 PM GMT +05:30

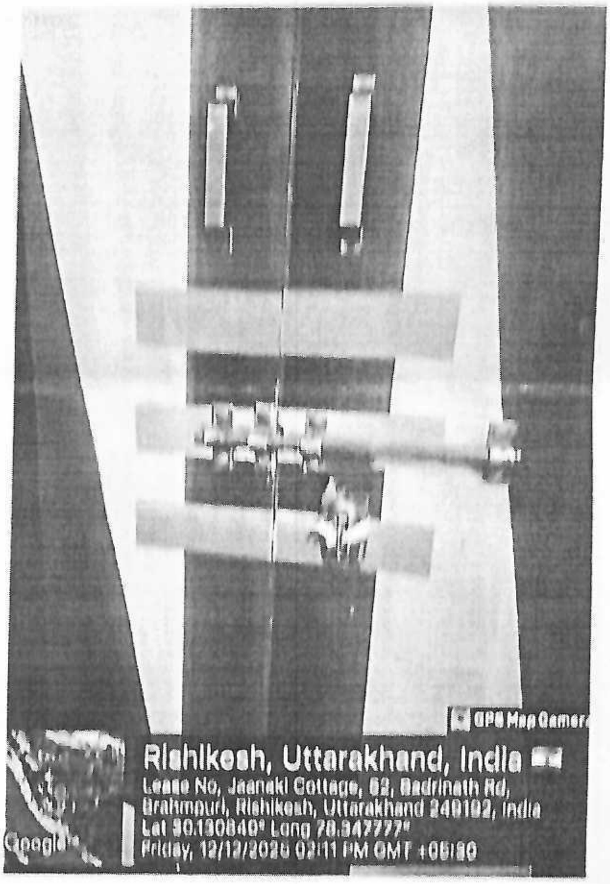
GPS Map Camera
Rishikesh, Uttarakhand, India
Lease No, Jaanaki Cottage, 52, Badrinath Rd,
Brahmpuri, Rishikesh, Uttarakhand 249192, India
Lat 30.130840° Long 78.347777°
Friday, 12/12/2025 02:11 PM GMT +05:30

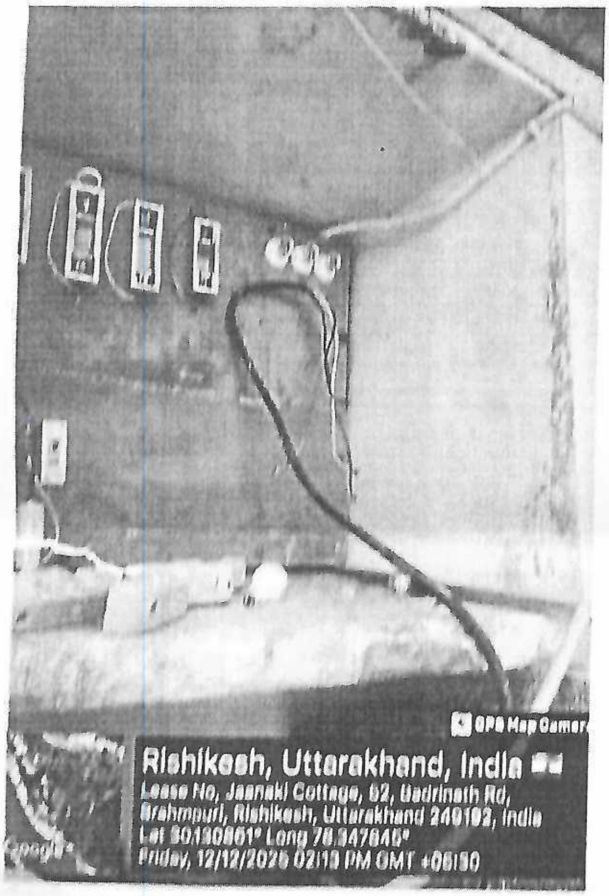
GPS Map Camera
Rishikesh, Uttarakhand, India
Lease No, Jaanaki Cottage, 52, Badrinath Rd,
Brahmpuri, Rishikesh, Uttarakhand 249192, India
Lat 30.130861° Long 78.347845°
Friday, 12/12/2025 02:13 PM GMT +05:30

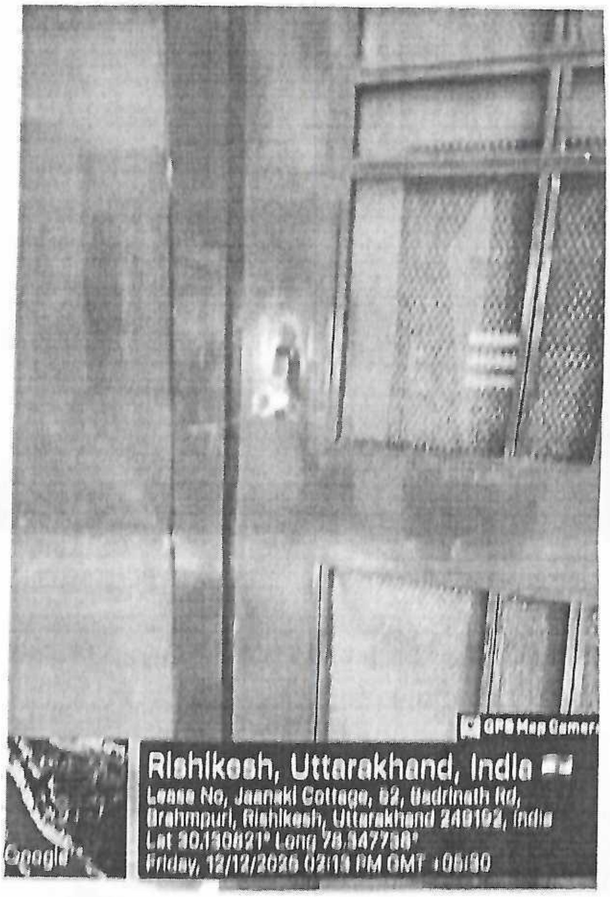
GPS Map Camera
Rishikesh, Uttarakhand, India
Lease No, Jaanaki Cottage, 52, Badrinath Rd,
Brahmpuri, Rishikesh, Uttarakhand 249192, India
Lat 30.130821° Long 78.347758°
Friday, 12/12/2025 02:13 PM GMT +05:30

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या–153/जिला गंगा समिति/एन0जी0टी0 (2025–26) नई टिहरी दिनांक 24दिसम्बर, 2025

उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के कम में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–यूकेपीसीबी/आरओडी/सा–(III)/ दिनांक 25.10.2025 **(प्रति संलग्न)** में उल्लेख किया गया है कि ट्रस्ट के प्रतिनिधि स्वामी प्रेम चैतन्य जी की उपस्थिति में दिनांक–04.10.2025 को ट्रस्ट के मेन ऑफिस को सील कर दिया गया है एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के द्वारा परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को दिनांक–03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है। प्रकरण में मा0 प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन के कम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा कार्यालय पत्र संख्या–एफ0एस0/नि0अ0 दिनांक– 08.12.2025 **(प्रति संलग्न)** में उल्लेख किया गया है कि दिनांक–05.12.2025 को सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण किया गया, तथा निरीक्षण के दौरान संस्थान में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थायें स्थापित की गयी हैं एवं वर्तमान समय में कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पायी गयी हैं। अनुपालन आख्या के अनुसार ट्रस्ट के मेन ऑफिस को सील करते हुये विद्युत संयोजन को दिनांक–03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है, जबकि प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर की अनुपालन आख्या के अनुसार ट्रस्ट में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थायें स्थापित की गयी हैं एवं वर्तमान समय में कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पायी गयी हैं। उक्त दोनों अनुपालन आख्याओं में विरोधाभाष उत्पन्न हो रहा है।

उक्त कम में दिनांक 12.12.2025 को उत्तरखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग के द्वारा सयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि आश्रम में विद्युत विभाग द्वारा विच्छेदन किया गया वह अभी पूर्ववत है एवं ऑफिस जो कि पूर्व में सील किया गया था, वह भी यथावत् पाया गया। निरीक्षण के दौरान आश्रम में अग्निशमन उपकरणों जिनकों दिनॉक 05.12.2025 को अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था पर उपकरणों की जॉच की गयी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान एक अन्य कक्ष जो कार्यालय के रुप में प्रयोग किया जा रहा था, को भी सील किया गया तथा परिसर में रखे D.G.Set को भी सील किया गया है।

अतः उपरोक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट(ओशोगंगा धाम) का समुचित औचित्य एवं वर्तमान वास्तविक स्थिति की जांच कर रिपोर्ट दो दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण में सुनवाई की अग्रिम तिथि दिनॉक **04.01.2026** को नियत है।

कृपया प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न–यथोपरि।

24/12/25
(नितिका खण्डेलवाल)
जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

ANNEXURE-7

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

सेवा में ,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

संख्या– 734 / आर०ए० (जांच आख्या) – 2025 नरेन्द्रनगर,दिनांक, दिसम्बर,26, 2025।

विषयः– मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या– 961 / 2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिंनाक 26,05,2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने कार्यालय पत्रांक संख्या 153 / जिला गंगा समिति / एन०जी०टी० (2025–26) नई टिहरी , 24 दिसम्बर 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अंतर्गत जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) का समुचित औचित्य एवं वर्तमान वास्तविक स्थिति की जांच कर रिपोर्ट दो दिवस के भीतर उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के कम में तहसीलदार नरेन्द्रनगर से जांच करवायी गयी, तहसीलदार द्वारा अपनी जांच आख्या दिंनाक 26.12.2025 में अवगत कराया कि स्थान ब्रहमपुरी स्थित जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट (ओशोगंगा धाम) का स्थलीय निरीक्षण दिंनाक 25.12.2025 को किया गया, स्थलीय निरीक्षण में पाया कि उक्त आश्रम में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन विच्छेदन किया गया है। विद्युत विभाग द्वारा आश्रम से विद्युत मीटर भी हटा दिया गया है, आश्रम का कार्यालय कक्ष सील्ड पाया गया है व आश्रम परिषद में एक जनरेटर सेट पाया गया है, उक्त जनरेटर सेट भी सील्ड पाया गया है।

अतः वांछित जांच आख्या महोदय की सेवा में मयमूल दस्तावेज सहित सादर प्रेषित।

सलग्न– यथोपरि।

भवदीय,
(हस्ताक्षर) 26/12/25
उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

सेवा में,
श्रीमान तहसीलदार महोदय
नरेन्द्रनगर टि०ग०

विषय :- मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या 961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में पारित आदेश दिनांक 26-05-2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में

महोदय, उपरोक्त विषयक जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल के पत्र संख्या 153/ जिला गंगा समिति / एन०जी० टी० (2025-26) नई टिहरी दिनांक 24, 1 दिसम्बर 2025 के अनुपालन में स्थान ब्रह्मपुरी स्थित जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट (आरोग्यगंगा धाम) का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 25/12/2025 को किया गया है, स्थलीय निरीक्षण आख्या निम्नवत है -

कि स्थलीय निरीक्षण में पाया कि उक्त आश्रम में विद्युत विभाग द्वारा विद्युत संयोजन विच्छेदन किया गया है, विद्युत विभाग द्वारा आश्रम से विद्युत मीटर भी हटा दिया गया है, आश्रम का कार्यालय कक्ष भी सील्ड पाया गया है, आश्रम परिसर में एक जनरेटर सेट पाया गया है. उक्त जनरेटर सेट भी शील्ड पाया गया है।

अतः रिपोर्ट महोदय की सेवा में प्रेषित है।

(हस्ताक्षर)
रा०नि० नरेन्द्रनगर
25/12/2025

उपजिलाधिकारी महोदय
की सेवा में रा०नि० नरेन्द्रनगर
जाँच रिपोर्ट सादर अग्रसारित

(हस्ताक्षर)
26/12/2025

कार्यालय जिलाधिकारी, टिहरी गढवाल।

संख्या–153/जिला गंगा समिति/एन0जी0टी0 (2025–26) नई टिहरी दिनांक 24दिसम्बर, 2025

उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या–961/2024 नितिन देव बनाम उत्तराखण्ड सरकार में दिनांक 26.05.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के कम में क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र संख्या–यूकेपीसीबी/आरओडी/सा–(III)/ दिनांक 25.10.2025 **(प्रति संलग्न)** में उल्लेख किया गया है कि ट्रस्ट के प्रतिनिधि स्वामी प्रेम चैतन्य जी की उपस्थिति में दिनांक–04.10.2025 को ट्रस्ट के मेन ऑफिस को सील कर दिया गया है एवं अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढवाल के द्वारा परिसर पर स्थापित विद्युत संयोजन को दिनांक–03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है। प्रकरण में मा0 प्राधिकरण के आदेश के अनुपालन के कम में प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर के द्वारा कार्यालय पत्र संख्या–एफ0एस0/नि0अ0 दिनांक– 08.12.2025 **(प्रति संलग्न)** में उल्लेख किया गया है कि दिनांक–05.12.2025 को सम्बन्धित संस्थान का निरीक्षण किया गया, तथा निरीक्षण के दौरान संस्थान में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थायें स्थापित की गयी हैं एवं वर्तमान समय में कार्यशील एवं संतोषजनक दशा में पायी गयी हैं। अनुपालन आख्या के अनुसार ट्रस्ट के मेन ऑफिस को सील करते हुये विद्युत संयोजन को दिनांक–03.10.2025 को स्थाई विच्छेदन कर दिया गया है, जबकि प्रभारी अग्निशमन अधिकारी, नरेन्द्रनगर की अनुपालन आख्या के अनुसार ट्रस्ट में प्राथमिक अग्निशमन व्यवस्थायें स्थापित की गयी हैं एवं वर्तमान समय में कार्यशील एवं संतोपजनक दशा में पायी गयी हैं। उक्त दोनों अनुपालन आख्याओं में विरोधाभाष उत्पन्न हो रहा है।

उक्त कम में दिनांक 12.12.2025 को उत्तरखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं अग्निशमन विभाग के द्वारा सयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में पाया गया कि आश्रम में विद्युत विभाग द्वारा विच्छेदन किया गया वह अभी पूर्ववत है एवं ऑफिस जो कि पूर्व में सील किया गया था, वह भी यथावत् पाया गया। निरीक्षण के दौरान आश्रम में अग्निशमन उपकरणों जिनकों दिनॉक 05.12.2025 को अग्निशमन विभाग द्वारा निरीक्षण के दौरान जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था पर उपकरणों की जॉच की गयी। संयुक्त निरीक्षण के दौरान एक अन्य कक्ष जो कार्यालय के रुप में प्रयोग किया जा रहा था, को भी सील किया गया तथा परिसर में रखे D.G.Set को भी सील किया गया है।

अतः उपरोक्त के कम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त जानकी कुटिया धमार्थ ट्रस्ट(ओशोगंगा धाम) का समुचित औचित्य एवं वर्तमान वास्तविक स्थिति की जांच कर रिपोर्ट दो दिवस के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उक्त प्रकरण में सुनवाई की अग्रिम तिथि दिनॉक 04.01.2026 को नियत है।

कृपया प्रकरण में शीर्ष प्राथमिकता प्रदान करें।

संलग्न–यथोपरि।

24/12/25

(नितिका खण्डेलवाल)
जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

Tehsildar (Kingi)

SDM (Kingi)
24/12/25

24/12/2025

EV 436...5891N 3-1-26 R-779/ERK 3-1-26

☎ 9219400009
9258160729

श्री जानकी कुटिया धर्मार्थ ट्रस्ट (रजि.)

लीज सं. 52 ब्रह्मपुरी, तपोवन, बद्रीनाथ रोड़ (ऋषिकेश) जिला-टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

पत्रांक .... दिनांक 26-12-2025

ADM/OC/DPO(NG)

जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल। 3-1-26

To,

The Member Secretary,
Uttarakhand Pollution Control Board,
Gaura Devi Paryavaran Bhawan,
46B, IT Park, Sahastradhara Road,
Dehradun-248001.

Sub:- Compliance of the order/Direction under Section 33A of Water (Prevention and Control of Pollution) Act 1974 and Section 31A of Air (Prevention and Control of Pollution) Act 1981 in the case of Shri Janki Kutiya Dharmarth Trust Lease No. 52, Brahampuri, Rishikesh- Matter Regarding

Kindly refer to your office letter no. UKPCB/ HO/Gen-183-806/2025/991 dated 11-09-2025 on the subject noted above.

In compliance of the above order/ direction it is submitted that 12 KLD -STP has duly been installed by M/S EWS Greentech Private Limited in Shri Janki Kutiya Dharmarth Trust Ashram at Lease No. 52, Brahampuri, Rishikesh. Online application for approval has already been submitted by the trust ashram on 08-10-2025. Copy of the bill/ invoice and photograph is enclosed herewith.

It is therefore requested that order dated 11-09-2025 for closing the operation and disconnecting the electric supply in the ashram may kindly be revoked. An early action in this regard is highly solicited. Any inconvenience caused is regretted.

Enclosed : as above

Swami Prem Chaitanya
Shri Janki Kutiya Dharmarth Trust
Lease No. 52, Brahampuri, Rishikesh

Copy for information and necessary action is submitted to :

1 The District Magistrate Tihri Garhwal

2 The Regional Officer, Regional Office, Uttarakhand Pollution Control Board,E-115, Nehru Coloney, Dehradun- 248001

Swami Prem Chaitanya
Shri Janki Kutiya Dharmarth Trust
Lease No. 52, Brahampuri, Rishikesh

EWS GREENTECH PRIVATE LIMITED
D-231, DELTA 1,
DISTRICT - GAUTAM BUDDHA NAGAR
GREATER NOIDA Uttar Pradesh 201308
India
GSTIN 09AAFCE5301C1Z5
91-9711356052
ewsgreentech@gmail.com
WWW.EWSGREENTECH.COM

TAX INVOICE

#	: EWS/2025-26/103	Place Of Supply	: Uttarakhand (05)
Invoice Date	: 15/12/2025		
Terms	: Due on Receipt		
Due Date	: 15/12/2025		

Bill To

Shri Janki Kutiya
Dharmartha Trust, Bramhapuri Rishikesh ,Rishikesh
249192 Uttarakhand
India

Ship To

Lease No: 52, Badrinath Rd, Brahmpuri,
Near Ram Mandir
Rishikesh
249192 Uttarakhand
India

Subject

Supply & Installation of Mechanical Sewage Treatment Plant Capacity 15 KLD

#	Item & Description	HSN/SAC	Qty	Rate	IGST		Amount
					%	Amt	
1	Supply & Installation of Mechanical Sewage Treatment Plant Capacity 12 KLD	84212190	1.00	4,73,750.00	18%	85,275.00	4,73,750.00
2	Transportation	996511	1.00	6,000.00	18%	1,080.00	6,000.00

Sub Total	4,79,750.00
IGST18 (18%)	86,355.00
Total	**₹5,66,105.00**
Balance Due	**₹5,66,105.00**

Total In Words
Indian Rupee Five Lakh Sixty-Six Thousand One Hundred Five Only

Notes

Thanks for your business.

Terms & Conditions
We declare that this invoice shows the actual price of the services described and that all particulars are true and correct.
Kindly issue the cheque in favour of EWS Greentech Pvt. Ltd. or Online transfer to our Bank account.

Bank Details -
EWS GREENTECH PRIVATE LIMITED
Bank Name - ICICI BANK
IFSC ICIC0000254
A/c No 025405007351
Branch - Alpha 1, Greater Noida

EWS Greentech Private Limited

Authorized Signature

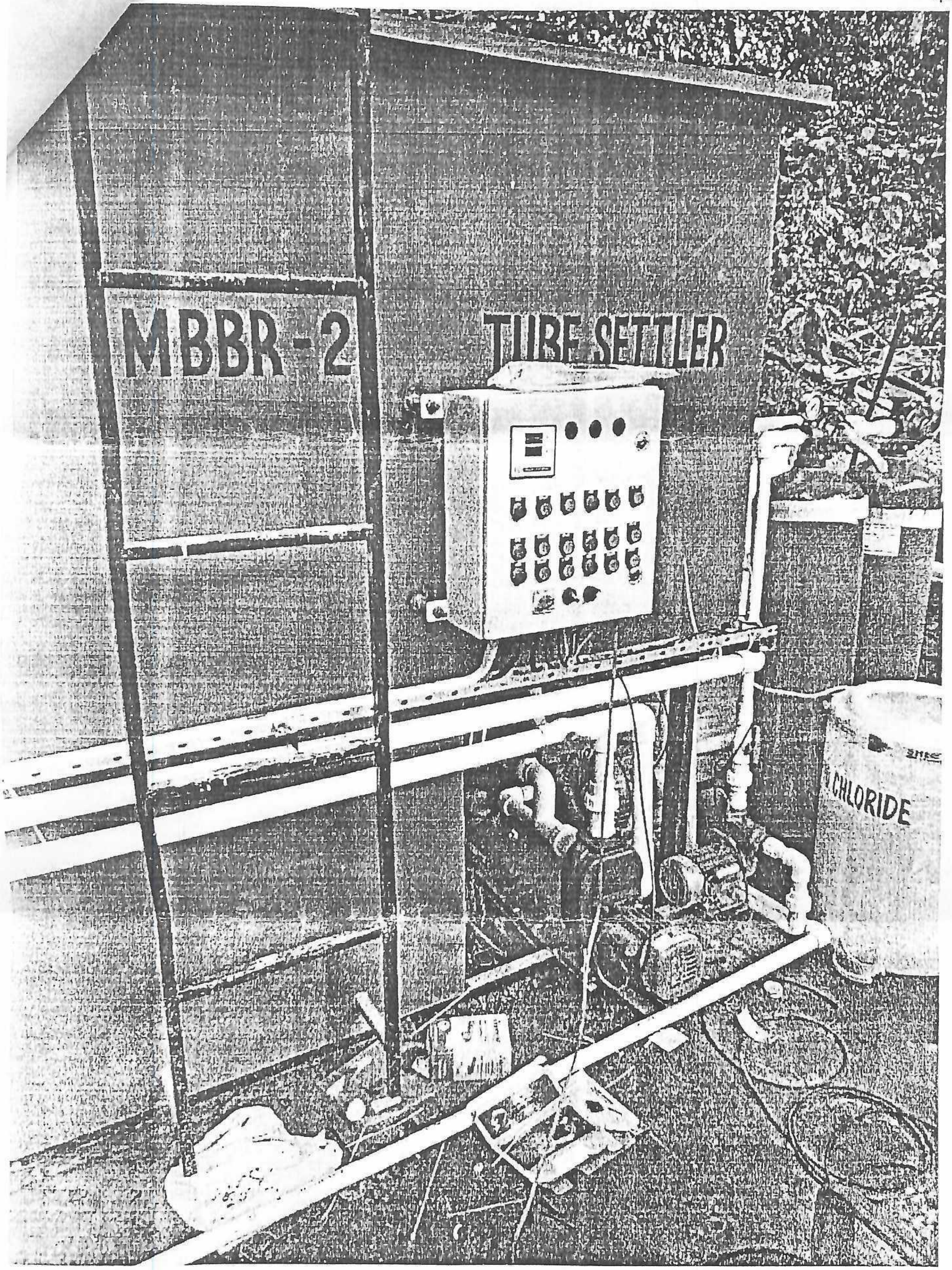
MBBR - 2
TUBE SETTLER
CHLORIDE

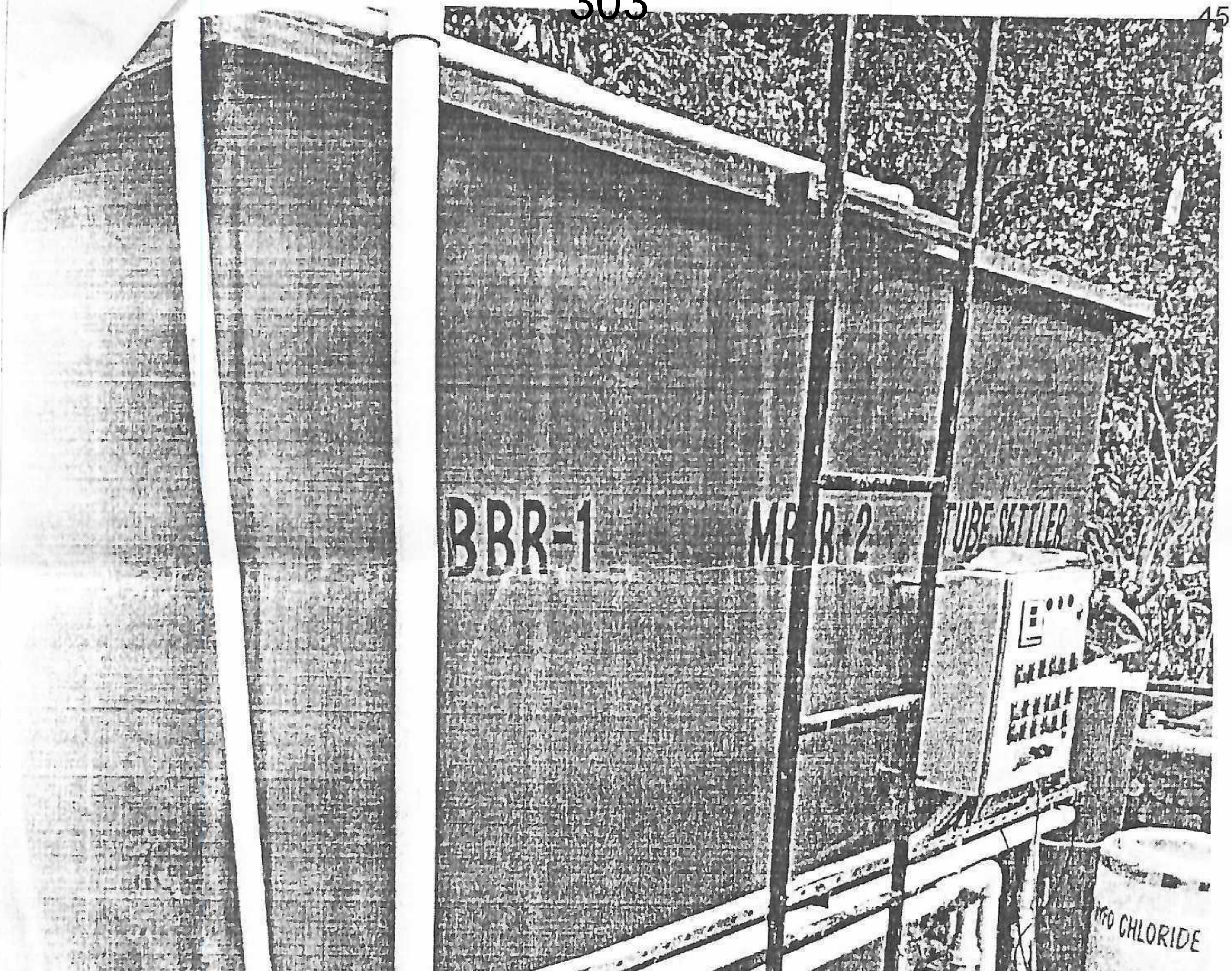
BBR-1
TUBE SETTLER
CHLORIDE

Item No. 04 Court No. 2

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Misc Application in Disposed of Cases No. 12/2026
In
Original Application No. 961/2024

Nitin Dev Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. Respondents

Date of hearing: 16.02.2026

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE ARUN KUMAR TYAGI, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. AFROZ AHMAD, EXPERT MEMBER

Applicant: None for the applicant.

Respondents: Mr. Kaushal Gautam, Advocate for respondent no.1. 3 and 4.
Mr. Mukesh Verma, Advocate for respondent no. 2.
None for respondent no. 5.

ORDER

1. Sh. Nitin Dev made complaint dated 22.11.2023 on public grievance portal of this Tribunal, which was treated and registered as Original Application No.961/2024.

2. The above said O.A. was disposed of vide order dated 26.05.2025 by with direction to UKPCB, Food Safety and Drug Officer, Tehri Garhwal Fire Safety Officer, Narender Nagar and District Supply Officer, Tehri Garhwal for protection of forest land and improvement of environment and directed to take appropriate action on the above said notices expeditiously preferably within six months.

3. The District Magistrate, Tehri Garhwal was directed to monitor the action by above said authorities/officers and file action taken report within

one month after expiry of period of six month from the date of receipt of a copy of this order before the Ld. Registrar General, National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi who may, if necessary, put up the matter before the Bench for further directions.

4. In compliance thereof, report dated 01.01.2026 has been filed by DM, Tehri Garhwal.

5. Considering further orders by this Tribunal to be necessary, the matter has been listed before the Bench by registering the report as Misc Application in Disposed of Cases No. 12/2026.

6. Mr. Kaushal Gautam, Advocate has appeared for respondents no. 1, 3 and 4 with Mr. Avdesh Kumar Singh, ADM, Tehri Garhwal and Mr. Mukesh Verma, Advocate has appeared for respondent no.2 and they seek four weeks' time for filing of their responses/compliance reports.

7. The same may be filed by way of affidavit within four weeks.

8. The Registry is directed to issue notice to respondent no. 5 requiring it to file its response within four weeks.

9. List on 17.04.2026 for further proceedings/orders.

Arun Kumar Tyagi, JM

Dr. Afroz Ahmad, EM

February 16th, 2026
M.A. in Disposed of Cases No. 12/2026
In Original Application No. 961/2024
AB